

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

No. 6]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “टायरों के लिए टायर क्युरिंग प्रेसों” के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच।

मामले की पृष्ठभूमि

एफ. संख्या 15/22/2014-डीजीएडी.—यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) निर्यातित “टायरों के लिए टायर क्युरिंग प्रेसों जिसे टायर वल्कानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 की अंतिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/22/2007-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। उक्त अंतिम निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 01/2010-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर ऐसा सुनिश्चित शुल्क लगाया था।

इसके अतिरिक्त जबकि मेसर्स रालसन इंडिया लिमिटेड जो कि संबद्ध वस्तुओं का एक प्रयोक्ता है, ने अधिनियम और पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया था जिसमें उसने पाटन-रोधी शुल्क के अधिकार क्षेत्र से “6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्युरिंग प्रेसिज” उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने के लिए मध्यावधि समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14

मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/12 द्वारा पाटन-रोधी शुल्कों के अधिकार क्षेत्र से “6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसिज” को बाहर निकाल दिया था।

2. यतः अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को यदि पहले रद्द नहीं कर दिया जाता है, तो ऐसा शुल्क, उसको लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

3. और यतः उपरोक्त प्रावधान के बावजूद प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् किए गए पर्याप्त अनुरोध के आधार पर, ऐसे उपाय की समाप्ति के अनुरोध की पुनरीक्षा करनी आवश्यक होती है, कि क्या शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और यतः मेसर्स लार्सन और ट्यूबरो लिमिटेड ने प्राधिकारी को एक आवेदन दे कर इस आधार पर कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यह अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 01/2010 द्वारा पहले से लगाए गए निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने और दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/12 द्वारा पाटन-रोधी शुल्कों के अधिकार क्षेत्र से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसिज” को बाहर निकालने जाने की निर्णायक समीक्षा जांच की जाए।

5. इस तथ्य पर संतुष्ट होते हुए कि याचिकादाता ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की आवश्यकता पर्याप्त प्रमाण युक्त है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 7 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/22/2014-डीजीएडी द्वारा यह उपयुक्त समझा है कि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की जाए। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 06/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा 7 जनवरी, 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

6. मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच के अधिकार-क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आयातों की विगत जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

क. क्रिया-विधि

7. प्राधिकारी द्वारा इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण या गया है :

(i) प्राधिकारी ने इस जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले इस आशय के आवेदन पत्र प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन के दूतावास को सूचित कर दिया था।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटन-रोधी निर्णायक जांच समीक्षा शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 7 जनवरी, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 15/22/2014- डीजीएडी जारी की थी।

(iii) प्राधिकारी ने इस अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की थी और उन्हें अवसर प्रदान किया गया था कि वे पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें।

(iv) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति प्रेषित कर दी थी। साथ ही आवेदन की एक प्रति ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी जिन्होंने उसके लिए अनुरोध किया था।

(v) संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित की गई पत्र और निर्यातक की प्रश्नावली की प्रतियां, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थीं, कि वे संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों के साथ-साथ संबद्ध देश के ही अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे प्रश्नावलियों के अपने उत्तर, निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर कर दें।

(vi) पाटन-रोधी नियामवली के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध देश के ज्ञात निम्नलिखित निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

- (क) गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी
- (ख) जियांग याईशान रबड़ मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- (ग) साईनो रबड़ मशीनरी कंपनी लिमिटेड

(vii) केवल गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक और निर्यातक के रूप में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

(viii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की गई थी और उन्हें सलाह दी गई थी कि वे नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को लिखित में अपने विचारों से अवगत करा दें :-

- (क) अपोलो टायरस लिमिटेड
- (ख) फॉल्कन टायरस लिमिटेड
- (ग) बिरला टायर्स
- (घ) गुडईयर इंडिया लिमिटेड
- (ङ) ब्रिजस्टोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- (च) जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (छ) सीईएटी लिमिटेड
- (ज) एमआरएफ लिमिटेड
- (झ) बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ix) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं :-

- (क) भारत में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं की एक एसोसिएशन के रूप में ऑटोमेटिव टायर मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन
- (ख) जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (ग) अपोलो टायरस लिमिटेड
- (घ) सीईएटी लिमिटेड

(x) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि, 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2014 तक (12 महीनों की) है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है।

(xi) वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे जाँच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लिए गए कारोबार-वार आयात के विस्तृत आकड़े उपलब्ध कराएं। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में ऐसे कोई आयात नहीं देखे गए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 98 के अंतर्गत जो कि संबद्ध वस्तुओं के लिए कटिबद्ध वर्गीकरण है, विचाराधीन उत्पाद के आयात देखे गए हैं। घरेलू उद्योग ने द्वितीय स्रोत नामतः आईबीआईएस, मुंबई से आयात के आंकड़े प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त आयातक की प्रश्नावली के उत्तर से भी ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देश से ऐसे आयात किए गए हैं। दोनों स्रोतों से प्राप्त आयात के आंकड़ों पर विचार किया गया है ताकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का पता लगाया जा सके।

(xii) नियम 6 (7) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था ताकि इच्छुक पक्षकार उनका निरीक्षण कर सकें।

(xiii) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के प्रावधान के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 21 सितंबर, 2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/दायर की गई सूचना पर अपने प्रत्युत्तर देने/उनका खंडन करने की भी अनुमति दी गई थी।

(xiv) जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के दौरान अपने मौखिक विचार प्रकट किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि में अपने मौखिक विचारों को लिखित रूप में भी दायर करें। जांच और मौखिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का निदान, प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, इस अंतिम निर्णय में कर दिया गया है।

(xv) 28.12.2015 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन ऐसे अत्यावश्यक तथ्य निहित थे जो कि इस अंतिम निर्णय की अधिसूचना के आधार बने हैं। ऐसे प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं, दायर करने के लिए दिनांक 01.01.2016 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार कर लिया है।

(xvi) प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए अनुबंध-III में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक द्वारा दायर की गई सूचना और आंकड़ों की उतनी जांच की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvii) जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक द्वारा दायर की गई सूचना और आंकड़ों की जांच की गई है, जबकि प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों द्वारा दायर की गई सूचना की विस्तार से जांच की गई है।

(xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी दायर करें।

(xix) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांचकी कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अतयधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे

पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।

(xx) प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का निदान इस अंतिम निर्णय में किया गया है।

(xxi) वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012, अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013-मार्च, 2014 और जांच अवधि के लिए कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच में विश्लेषण करने के लिए इस सूचना के अतिरिक्त याचिकादाता द्वारा दायर द्वितीय स्रोत अर्थात् आईबीआईएस की सूचना के साथ-साथ आयातक द्वारा दायर सूचना को विश्वसनीय माना गया है।

(xxii) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 61.65 रूपए है।

(xxiii) इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और “समान वस्तु” का कार्य क्षेत्र

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

8. विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) विचाराधीन उत्पाद, “6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्युरिंग प्रेसों को छोड़ कर टायर क्युरिंग प्रेस है, जिसे टायर वल्कानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है”। टायर क्युरिंग प्रेस, टायर का विनिर्माण करने के समय टायर की क्युरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली एक मशीन है। ऐसी एक मशीन का उपयोग, विभिन्न प्रकार के बीड आकारों के लिए किया जाता है।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं।

(ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के उप-शीर्ष 8477 5100 में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे वर्गीकरण का तात्पर्य “मोल्डिंग अथवा मोल्लिंग के लिए अन्यथा फोर्मिंग अथवा नियुमेटिक टायरों की रिट्रिडिंग अथवा मोल्लिंग अथवा आंतरिक ट्यूबों की अन्यथा फोर्मिंग के लिए अन्य मशीनरी” से है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से जांच के अधिकार-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि टीसीपी को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, फिर भी ऐसी कटिबद्ध शीर्ष संहिता में आयात सूचित नहीं किए गए हैं और इन्हें सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अध्याय 98 के अंतर्गत सूचित किया जा रहा है।

(घ) चूंकि याचिकादाता द्वारा निर्मित उत्पाद सभी निर्धारित मानकों को पूरा करता है, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उसकी गुणवत्ता कतई भी प्रासंगिक नहीं थी। ऐसा कोई प्रमाण दायर नहीं किया गया है, जिससे ऐसा पता चले कि घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता कंपनी द्वारा वांछित विनिर्देशनों अथवा आदेशों के आधार पर ऐसी सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकता है अथवा जिससे ऐसा पता चले कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद, गुणवत्ता की दृष्टि से निकृष्ट रहा हो।

(ङ) घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पाद की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की है जो कि उसकी आपूर्तियों का साक्ष्य है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

9. विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री, गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया है, उसकी सेवा प्रदानगी में विलंब हुआ है और यहां तक कि विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने में भी विलंब हुआ है। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें प्रयोक्ता उद्योग को, उच्चतर लागत पर भी विचाराधीन उत्पाद का आयात करने पर विवश होना पड़ा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. मौजूदा याचिका, पहले से लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के बारे में है। मूल अंतिम निर्णय में प्राधिकारी द्वारा विचारित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है :-

3. मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद, निर्यातित "टायर क्युरिंग प्रेस" है, जिसे टायर वल्कानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है। टायर क्युरिंग प्रेस एक मशीन होती है जिसका उपयोग, टायर का विनिर्माण करने के समय टायर की क्युरिंग के लिए किया जाता है। टायर क्युरिंग प्रेस एक ऐसी मशीन होती है जो कि टायर को उनका अंतिम आकार और ट्रीड पैटर्न प्रदान किया जाता है। गर्म सांचा टायरों को आकार देता है और उनको वल्कानाईज करता है। ऐसे सांचों को ट्रीड पैटर्न के अनुसार उत्कीर्ण किया जाता है तथा विनिर्माता और विधि द्वारा अपेक्षित चिन्हों का साईडवाल में अंकन किया जाता है। क्युरिंग के बाद टायरों को उनके सांचों से अलग किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप देने और निरीक्षण के लिए तैयार किया जाता है। 4. टायर क्युरिंग प्रेस को डोम के आंतरिक व्यास अथवा प्लेटन के व्यास से सामान्यतया इंचों में निर्दिष्ट किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे सांचे के अधिकतम आकार का निर्धारण किया जाता है, जिसका उपयोग प्रेस में किया जाता है। सांचे का व्यास एक ऐसा प्रमुख प्राचल होता है जो कि टायर के ऐसे अधिकतम आकार का निर्धारण करता है, जिसे उक्त प्रेस में क्योर किया जा सके। सामान्यतया चूंकि प्रेस का आकार बढ़ता जाता है, यह बड़े व्यास के सांचे को भी व्यवस्थित कर सकता है और इसलिए यह बड़े टायरों को भी क्योर कर सकता है। विभिन्न प्रकार के टायरों के लिए प्रेस के आकारों का व्यापक वर्गीकरण नीचे दिया गया है : 24" x 36" - स्कूटर टायर 40" x 32" - यात्री कार और एलसीवी टायर 55" x 65.5", ट्रक टायर 78" - ट्रैक्टर और कृषि उपस्कर टायर 85" x 185" - ओटीआर टायर (खदान और विशेष उपस्कर) ऑप्शनल एड ऑन जैसे कि वर्टीकल चुक लाउडर, सेगमेंटिड माउल्ड ऑपरेटर और क्योर पश्चात इन्फलेटर्स जो कि प्रेस को स्वचालित बेहतर उत्पाद हैंडलिंग क्षमता के लिए सहायक होते हैं, आदि को जोड़ा जाता है जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। 5. टायर क्युरिंग प्रेसों को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 के अंतर्गत उपशीर्ष 8477.51, भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुव्यवस्थित वस्तु विनिर्देशन और संहिता प्रणाली) के अंतर्गत उपशीर्ष 8477.5100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

11. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में संशोधन किया था और इसे दिनांक 29 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/40/2010 द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से क्युरिंग बाईसाईकिल टायरों के क्युरिंग के लिए 6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्युरिंग प्रेसों से बाहर निकाल दिया था।

12. मौजूदा जांच, विद्यमान पाटन-रोधी शुल्क की पुनरीक्षा करने के बारे में है, इसलिए प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो कि पिछली मध्यावधि समीक्षा में निर्णीत उत्पाद का कार्य-क्षेत्र था जिसमें "6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्युरिंग प्रेसिज" को पाटन रोधी शुल्कों के अधिकार-क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई प्रासंगिक निवेदन नहीं किया है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में कोई संशोधन (काट-छांट सहित) करने अनुरोध किया गया हो।

13. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा तर्क सिद्ध नहीं हुआ है और मौजूदा जांच में उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त विधि का यह संपुष्ट सिद्धांत है कि दो भिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की मात्रा में भिन्नता होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

14. जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र “टायरक्यूरिंग प्रेसिज” हैं जिसे टायर बल्कानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड़ प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है जिसमें क्यूरिंग बाईसाईकिल टायरों के लिए 6 डे लाईट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसों शामिल नहीं हैं तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान ही हैं।

ग. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और दर्जा

घरेलू उद्योग के निवेदन

15. घरेलू उद्योग और उसके दर्जे के बारे में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) याचिका को मेसर्स लारसेन और टयूबरो लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं को प्रमुख उत्पादक है।

(ख) भारत में इस उत्पाद के चार अन्य उत्पादक भी हैं जो नामतः देवन मशीन्ज प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई, ट्रिमेक मशीनरी मेन्युफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड लिमिटेड, मुंबई, एल्फ्रेड हर्बेट (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता और स्पेसिफिक इंजीनियरिंग कोर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई हैं। देवन मशीन्ज एमआरएफ लिमिटेड का एक यूनिट है और ऐसा समझा जाता है कि यह केवल एमआरएफ के लिए ही उत्पादन करता है। याचिकादाता को इस कंपनी द्वारा किसी प्रकार की व्यापारिक बिक्री करने की कोई जानकारी नहीं है। याचिकादाता के पास अन्य उत्पादकों के बारे में भी कोई ब्यौरे नहीं हैं।

(ग) याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है और इसके अतिरिक्त वह नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या प्रयोक्ता से भी संबंधित नहीं है।

(घ) याचिकादाता का उत्पादन, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। इस प्रकार मौजूदा याचिका, नियमावली के अंतर्गत मौजूदा याचिका दायर करने के दर्जे की अपेक्षा को पूरा करती है तथा याचिकादाता “घरेलू उद्योग” बनता है।

(ङ) मौजूदा याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। इसके निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते प्राधिकारी को मौजूदा याचिका दायर करने के लिए याचिकादाता के दर्जे का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके दर्जे के बारे में किसी भी इच्छुक पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“2 (ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

18. याचिका को मेसर्स लारसेन और टयूबरो लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबंधित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता के अतिरिक्त भारत में इस उत्पाद के चार अन्य उत्पादक भी हैं जो नामतः देवन मशीन्ज प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई, ट्रिमेक मशीनरी मेन्युफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड लिमिटेड, मुंबई, एल्फ्रेड हर्बेट (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता और स्पेसिफिक इंजीनियरिंग कोर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई हैं। यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार देवन मशीन्ज एमआरएफ लिमिटेड का एक यूनिट है और ऐसा समझा जाता है कि यह केवल एमआरएफ के

लिए ही उत्पादन करता है और वह घरेलू बिक्रियों के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। इस संबंध में याचिकादाता के दावे का एमआरएफ, एटीएमए अथवा अन्य इच्छुक पक्षकार ने कोई खंडन नहीं किया है। सभी ज्ञात उत्पादकों को जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी गई थी और इस मामले के संबंध में उन्हें सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन किसी ने भी इस मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रेषित नहीं की है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि यदि मेसर्स देवन मशीन्ज की ज्ञात क्षमता को ही उसके घरेलू उत्पादन के रूप में माना जाता है, तो भी याचिकादाता का उत्पादन, भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। इसलिए याचिकादाता, मौजूदा याचिका दायर करने के दर्जे की आवश्यकता को पूरा करता है और वह पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर “घरेलू उद्योग” बनता है।

घ. गोपनीयता

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. निर्यातक के विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में अपने निर्यात के आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने सूचीबद्ध आंकड़े भी दायर नहीं किए हैं और साधारणतः उन पर का तारक चिन्ह लगा दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा ऐसी गोपनीयता का दावा भारतीय पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार असंगत है और माननीय घरेलू उद्योग की पद्धति को दिनांक 9 दिसंबर, 2013 की व्यापारिक सूचना संख्या 01/2013 में उल्लिखित किया गया है। चूंकि घरेलू उत्पादन और बिक्रियों की ही तरह उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के लिए निर्यात के आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, इसलिए घरेलू उद्योग के पास ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे वह निर्यात के आंकड़ों को खाली छोड़ दे और उसे निर्दिष्ट नहीं करे। उपरोक्त व्यापारिक सूचना में ऐसी स्पष्ट व्यवस्था है कि निवेदन के अगोपनीय वृत्तान्त (एनसीवी) को सूचीबद्ध किया जाए और यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सूचना को खाली छोड़ दिया जाएगा।

(ख) मूल निवेदनों में याचिकादाता के अनुसार घरेलू उद्योग को आयात के ब्यौरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन याचिकादाता ने बाद के अपने निवेदनों में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के ब्यौरों का उल्लेख किया है। एटीएमए के प्रतिनिधि और उनके सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि एटीएमए के सदस्यों के आयात के आंकड़े गोपनीय हैं और ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग ने अनधिकृत रूप से उन्हें प्राप्त किया है।

घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग के निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) भारत से निर्यातों के प्रकटन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का दावे का खंडन किया जाती है क्योंकि वह गलत है।

(ख) वास्तव में एटीएमए की सदस्य कंपनियों ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है। चूंकि आयात के ब्यौरे सार्वजनिक रूप से आयात के आंकड़ों में उपलब्ध हैं, इसलिए आयातकों द्वारा उनकी गोपनीयता का दावा करने का कोई औचित्य नहीं था।

(ग) हितबद्ध पक्षकारों की यह परिकल्पना है कि याचिकादाता ने आयातकों और निर्यातकों की गोपनीय सूचना को प्राप्त किया है। याचिकादाता ने उत्तर के केवल अगोपनीय वृत्तान्त को ही प्राप्त किया है। प्रारंभ में घरेलू उद्योग ने सीमाशुल्क के शीर्षों के अध्याय 84 के अंतर्गत आयातों पर ही विचार किया था, जिसमें ऐसा निर्दिष्ट है कि मशीनों को आदर्शतः आयातित किया जाना चाहिए, लेकिन आयातकों की प्रश्नावली के अगोपनीय वृत्तान्त का प्राप्त कर, ऐसा प्रमाणित हो गया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात किए गए थे। इसलिए घरेलू उद्योग ने समग्र मामले की जांच की और ऐसा पाया कि अध्याय 98 के अंतर्गत आयात किए जा सकते हैं। तब घरेलू उद्योग ने आईवीआईएस से अध्याय 98 के अंतर्गत आयात की सूचना प्राप्त की तथा आयात की सूचना के और ब्यौरे प्राप्त किए। ऐसी सूचना ही प्राधिकारी को प्रदान की गई है। उन्होंने ऐसा अन्तर्दृष्टि इस तथ्य से प्राप्त की कि जेके टायर पहले 56 मशीनें खरीदना

चाहता था लेकिन बाद में उसने याचिकादाता को 28 मशीनों और चीन को 28 मशीनों का आदेश दिया । इसलिए याचिकादाता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना स्रोत से सूचना संरचित कर सकता था ।

(घ) इस तर्क के संबंध में कि आईबीआईएस के आंकड़े अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं अथवा आईबीआईएस के आंकड़ों से अध्याय 98 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातों का पता नहीं चलता है, घरेलू उद्योग ने अध्याय 98 के अंतर्गत आयातों के संबंध में उनके द्वारा दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण में आईबीआईएस के आंकड़े प्रदान किए हैं । घरेलू उद्योग ने ऐसे आंकड़ों में गोपनीयता का दावा नहीं किया है ।

(ङ) तथ्यों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादी निर्यातक और आयातक ने तथ्यों का अत्यधिक दमन किया है, जिनमें निर्यातक और आयातक ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कार्पोरेशन के माध्यम से विशेष निर्यात किए गए हैं, जबकि सीमा शुल्क के आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात प्रविष्टि के बिल के आधार पर किए गए हैं, इसलिए आयातक अथवा निर्यातक ऐसे आयातों की मात्रा की गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते हैं । इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के प्रावधान का दुरुपयोग किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को जांच में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने से रोका जा सके ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. गोपनीयता के संबंध में मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न निवेदन किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए जाने पर उनकी जांच की गई है तथा उनका निदान, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार किया है ।

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है । प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है । जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी दायर करें । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्तको सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है ।

23. हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय सूचना के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को निर्यातक और आयातक/प्रयोक्ता द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर का केवल सार्वजनिक वृत्तान्त ही दिया गया है । गोपनीयता का उल्लंघन करने के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार को कोई भी दावा/आरोप बिना किसी गुण-दोष के है और यह निराधार है । घरेलू उद्योग ने आईबीआईएस से अध्याय 98 के अंतर्गत कारोबार-वार आंकड़े प्राप्त किए हैं, जिनका प्रश्नावली के उत्तर के साथ सह-संबंध के फलस्वरूप ही समग्र सूचना की संरचना हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि तीन आयातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दायर किए गए थे और जबकि प्रश्नावली के उत्तर में उक्त सूचना की गोपनीयता का दावा किया गया है, फिर भी एक आयातक ने आयातों की मात्रा का प्रकटन स्वयं सूचीबद्ध रूप में किया है तथा अन्य दो आयातकों ने जांच अवधि के दौरान आयातों के शून्य होने का दावा किया है । तथापि, ऐसी सूचना आईबीआईएस में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसकी तुलना सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त से करने के फलस्वरूप कुल आयातों का सुगमता से पता चल जाएगा कि घरेलू उद्योग द्वारा आयात के आंकड़े प्रदान किए गए हैं और ये सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध हैं । घरेलू उद्योग द्वारा अनधिकृत रूप से आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के संबंध में आयातक के कानूनी सलाहकार के पुनरावृत्त निवेदन निराधार हैं ।

ङ. पाटन का मूल्यांकन - क्रिया विधि और प्राचल

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

24. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री औथ सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग के निवेदन

25. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी पृथक पाटन मार्जिन की हकदार नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में वह निर्यातक नहीं है। समस्त निर्यात चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कापॉरेशन द्वारा किए गए हैं जिसने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

(ख) गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने यह दावा किया है कि उसने एक एजेंट के रूप में चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कापॉरेशन लगाया है। यदि ऐसा है तो आयातक और आरोपित नियुक्त एजेंट के बीच बिक्रियां और खरीदारियों के कारोबार नहीं हो सकते थे। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कापॉरेशन एक एजेंट नहीं बल्कि एक निर्यातक है, इसलिए उसे उपयुक्त उत्तर दायर करके जांच की कार्यवाई में भागीदार होना चाहिए था।

(ग) चीन जनवादी गणराज्य को निम्नलिखित कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए :-

(1) **बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है:** भारत में निर्दिष्ट प्राधिकारी और यूरोपीय आयोग ने निरंतर यह माना है कि ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। यह माना गया है कि यह न केवल विगत हस्तक्षेपों का प्रश्न है, अपितु बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने के लिए संगत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भविष्य में राज्य के हस्तक्षेप की संभावना का भी प्रश्न है।

(2) **बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है:** 'बाजार मूल्यों के पर्याप्त प्रदर्शन' की व्यापक व्याख्या की गई है ताकि यह अर्थ निकाला जा सके कि इन निविष्टियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। यह तथ्य नितांत अपर्याप्त है कि ऐसी कीमतें चीन जनवादी गणराज्य में प्रचलित कीमत से तुलनीय है।

(3) **बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है:** ऐसी स्थितियों में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार को खारिज किया जाना चाहिए जिनमें चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि उनकी

बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों (आई ए एस) के अनुरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुपालन पर जोर देने की जरूरत वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्व और व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की सत्यता और यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए है।

(4) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है :

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच पर खरे नहीं उतरते हैं। यह स्थिति वास्तविक क्षति के लिए अपेक्षित जांच के ठीक विपरीत है। यह एक विधिवत स्वीकार की गई स्थिति है कि क्षति का सकारात्मक जांच परिणाम उस स्थिति में भी दर्ज किया जा सकता है जब तक एक ही मापदंड से क्षति की पुष्टि होती हो। इस प्रकार जहां क्षति की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए एक मापदंड पर्याप्त है, वहीं बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को रद्द करने के लिए एक ही मापदंड पर खरे उतरने में विफलता पर्याप्त है।

(5) सिद्ध करने का भार/दायित्व : यह सिद्ध करने का दायित्व प्राधिकारी पर नहीं है कि चीन की कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन कर रही हैं और वह बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की हकदार हैं। इसके विपरीत यह सिद्ध करना चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रही हैं।

(6) समग्र रूप में समूह का उत्तर : बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप में इसका दावा नहीं करते हैं। यदि उक्त समूह के भागस्वरूप एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

(7) रूपांतरण : ऐसी स्थिति जिसमें वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, परंतु किसी अन्य पक्षकार से इन्हें अर्जित किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्यों से रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

(घ) याचिकादाता को विभिन्न आकारों की मशीनों के लिए मौजूदा मामले में अपनाए जा रहे किसी भी वर्गीकरण अथवा पीसीएन तंत्र के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि ऐसी पीसीएन प्रणाली, पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती होने और क्षति की मात्रा का निर्धारण करने के लिए ही उपयुक्त है। लेकिन विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति का मूल्यांकन समग्र रूप से किए जाने की आवश्यकता है। याचिकादाता ने तुलनीय किस्मों के उत्पादों के साथ पहले से ही तुलना करके कीमत में कटौती होने, पाटन के मार्जिन और क्षति का विश्लेषण करने का कार्य शुरू किया है। तथापि, यह तर्क देना गलत है कि प्रत्येक ग्रेड के टीसीपी के लिए समग्र क्षति विश्लेषण और कीमत विश्लेषण पृथक रूप से किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक होने का दावा किया है, जो कि वह भारत में अपने एजेंट नामतः चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कॉर्पोरेशन के माध्यम से करता है। चूंकि चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कॉर्पोरेशन केवल एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए एजेंट द्वारा पृथक उत्तर दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) पाटन मार्जिन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक लदानों के आधार पर होनी चाहिए।

(ग) निर्यात कीमत को तभी संरचित किया जा सकता है, जबकि कोई निर्यात कीमत नहीं हो अथवा निर्यातक और आयातक अथवा तृतीय पक्षकार के बीच सहयोग होने अथवा मुआवजी व्यवस्था होने के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय हो। मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक लदान विद्यमान हैं और आयातकों द्वारा उनके

बीजक डीजीएडी को उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे घरेलू उद्योग का यह तर्क नहीं है कि सहयोग होने के कारण निर्यात अविश्वसनीय हैं।

(घ) एक आकार के टीसीपी का उपयोग, विशेष रूप से विशिष्ट प्रकार के टायर का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है तथा विभिन्न आकार के टीसीपी को उसके प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद अर्थात् टीसीपी में विभिन्न आकार निहित हैं और प्रत्येक किस्म का उपयोग, विशेष प्रकार के अरीय टायर के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 65.5" टीसीपी का उपयोग, अरीय टायरों के लिए किया जाता है और इसका उपयोग अन्य किस्मों के टायरों जैसे कि बस के टायरों का विनिर्माण करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने भी स्वीकार किया है। इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न ग्रेड के टीसीपी को एक ही उत्पाद नहीं माना जा सकता है और इसलिए प्रत्येक ग्रेड के टीसीपी के लिए क्षति का विश्लेषण और कीमत का विश्लेषण, पृथक् रूप से किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी निर्यातक ने एनएमईटी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

28. विश्व भर में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है और हाल ही के मामलों में भारत में भी चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। इसलिए चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है। सुलभ संदर्भ के लिए उक्त पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान नीचे उद्धृत किया गया है :-

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

29. चूंकि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाता है, इसलिए नियमावली में यह प्रावधान है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित घरेलू विक्री कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश को ऐसे तृतीय देश से निर्यात कीमत के आधार पर किया जाए। तथापि, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण, उपरोक्त विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण, भारत में समान उत्पाद के लिए देय कीमत अथवा वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत के आधार पर उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समंजन करने पर कर सकते हैं।

30. तृतीय देश की किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में संबद्ध वस्तुओं के लिए किसी भी प्रकार की कीमत और लागत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने पर तथा इस तथ्य को नोट करने पर कि निर्यातक/आयातक ने पूरी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 8 (3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने का कोई दावा नहीं किया है, मौजूदा मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस विकल्प के सिवाए और कोई उपाय नहीं है कि वह सामान्य मूल्य का निर्धारण, भारत में समान उत्पाद के लिए देय कीमत अथवा वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत के आधार पर उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समंजन करके करें।

विशिष्ट पाटन मार्जिन का निर्धारण

31. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य दायर करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य दायर करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

(1) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जनवादी गणराज्य में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं ;

(2) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

(3) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

32. विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक और निर्यातक है और उसने अपने एजेंट नामतः चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कापॉरेशन के माध्यम से उसका भारत में निर्यात किया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत में *** मशीनों का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उत्पादक-निर्यातक द्वारा दायर किया गया प्रश्नावली का उत्तर पूरा नहीं है क्योंकि कंपनी ने ऐसी अन्य कंपनी (चाईना नेशनल फार्मेस्युटिकल फोरन ट्रेड कापॉरेशन) के माध्यम से भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान 26 मशीनों का आयात किया गया था और प्रतिवादी निर्यातक, गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने इन सभी मशीनों की सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि आयातक द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर से सूचीबद्ध सूचना के अनुसार जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि होने का पता चलता है।

34. गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विरोधात्मक दावों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया था। यह पाया गया कि भारत को निर्यात करने के लिए गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा निर्मित सभी मशीनों की सूचना को गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर में शामिल नहीं किया गया है। गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने यह बताया है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं का कोई निर्यात चीन के कुछ अन्य व्यापारियों द्वारा किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच के दौरान भी ऐसा पाया गया था कि गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने सभी मशीनों के बारे में सूचना प्रदान नहीं की थी। मूल जांच के दौरान प्राधिकारी ने जो नोट किया था, वह निम्नानुसार है :-

“44. गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने जो कि चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातक है, जांच अवधि के दौरान निर्यात के कारोबार-वार आंकड़े प्रदान किए थे। तथापि, यह नोट किया गया है कि भारत में “गुईलिन” से किए गए कुछ निर्यातों का निर्यातक निर्यातक द्वारा प्रकट किए गए निर्यात के कारोबार से पता नहीं चलता है। निर्यातक से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था और यह उत्तर दिया गया था कि “गुईलिन ने जांच अवधि के दौरान भारत को उसके द्वारा लदान की गई बिक्रियों के बारे में सूचित किया गया था और उसके लिए भारतीय ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत की गई थी”। इनके अतिरिक्त गुईलिन की चीन के भीतर भी बिक्रियां होती हैं जिनमें असंबद्ध व्यापारी भी

शामिल हैं। कभी-कभी चीन की बन्दरगाहों को भी सुपुर्दगी की जाती है। गुईलिन को चीन में ऐसे असंबद्ध व्यापारियों के अंतिम ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गुईलिन ऐसी बिक्रियों को अपनी घरेलू बिक्रियों के रूप में सूचित करता है क्योंकि उसके द्वारा ऐसी वस्तुओं की प्रदानगी की गई थी अथवा उससे इनको प्राप्त किया गया था तथा उसे चीन, भारत अथवा किसी भी स्थान पर अंतिम ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा चूंकि गुईलिन द्वारा ऐसी बिक्रियों के संबंध में वांट की प्रतिपूर्ति करने का कोई दावा नहीं किया गया है अथवा प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इनकी जांच की जा सकती है। प्रारंभिक निर्णय के बाद यह सूचित किया गया था कि निर्यातक के व्यापारी के साथ संबंध थे और उनसे कहा गया था कि वे इसकी संपुष्टि करें कि क्या उन्होंने भारत में प्रेसों को दुबारा बेचा है। यह भी सूचित किया गया है कि व्यापारियों ने सहयोग देने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी संपुष्टि की है कि प्रेसों को भारत में दुबारा बेचा गया था तथा ग्राहकों के नाम भी बताए गए हैं। इस संशोधित सूचना में निर्यातक ने एक व्यापारी के माध्यम से सीधे भारत को किए गए निर्यात के कारोबार-वार ब्यौरे दिए हैं। अन्य देशों को की गई निर्यात बिक्रियों अथवा अन्य व्यापारियों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यातों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। जांच के दौरान निर्यातक से प्रदानगी के दस्तावेज दिखलाने को कहा गया था। इस संबंध में यह बताया गया था कि हालांकि उन्होंने व्यापारी के निर्देश पर चीन के बंदरगाह पर प्रेसों की प्रदानगी की थी, लेकिन उनको अंतिम गंतव्य स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, निर्यातक संतोषजनक ढंग से यह स्पष्ट नहीं कर सका कि विनिर्माण के लिए तथा अंतिम ग्राहक के स्थान पर स्थापना करने के लिए जिस टीसीपी के लिए तकनीकी इनपुट की आवश्यकता होती है, अंतिम ग्राहक को जाने बिना उन्हें व्यापारी को कैसे बेच दिया गया। यह भी सूचित किया गया था कि उनको बेची गई टीसीपी के अंतिम गंतव्य स्थान की जानकारी नहीं है। निर्यातक ने अपने निवेदनों में यह बताया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिफल "तकनीकी क्षमता" है। उत्पाद की तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, निर्यातक के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ है और वह भारत को निर्यात के लिए प्रदान किए गए कारोबार-वार ब्यौरों पर विश्वास नहीं कर सकता है। चूंकि निर्यातक निर्यात कीमत के दावों को सही ढंग से सिद्ध करने में असमर्थ रहा है, जो कि पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्राधिकारी, निर्यातक "गुईलिन" के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं कर सका है।"

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक, गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा दायर किया गया प्रश्नावली का उत्तर पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें भारत को निर्यात के लिए कंपनी द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के संबंध में सूचना/साक्ष्य निहित नहीं हैं। मेसर्स गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा यथा घोषित निर्यातों की मात्रा, आयातकों द्वारा घोषित की गई मात्रा से बहुत कम है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक/निर्यातक, उत्पाद के अंतिम गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा नहीं कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की यह धारणा है कि प्रतिवादी उत्पादक, मेसर्स गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी द्वारा दायर किया गया प्रश्नावली का उत्तर अत्यधिक अपूर्ण हैं और उसमें भारत में विचाराधीन उत्पाद के समस्त आयातों से संबंधित सूचना निहित नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि मेसर्स गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करना उपयुक्त नहीं है।

36. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरू करने की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप केवल एक निर्यातक नामतः मेसर्स गुईलिन रबड़ मशीनरी फैक्टरी ने ही उत्तर दिया है। तथापि, निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दावा करने के लिए प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है तथा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन नहीं किया है। चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने एमईटी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है अथवा बाजार अर्थव्यवस्था का दावा नहीं किया है, याचिकादाता ने प्रस्ताव किया है कि भारत को एक प्रतिनिधि देश के रूप में माना जाए। किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा याचिकादाता के इस दावे पर कोई टिप्पणी दायर नहीं की गई है।

37. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान निम्नलिखित मशीनों के आयात किए गए हैं: -

(क) 48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और संपूर्ण सर्ज कन्वेयर।

(ख) 65.5" टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर ।

38. आकार और उपकरणों के आधार पर उत्पाद की सहयोजित लागत और कीमतों में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रस्ताव किया है कि ऐसे प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पृथक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए और उसके बाद पृथक पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन की मात्रा निर्धारित की जाए । तदनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि जांच अवधि के दौरान आयातित दो आकार की टीसीपी के लिए पृथक सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए ।

39. इस प्रयोजनार्थ जहां तक 65.5" मशीन का संबंध है, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान लगभग समान विनिर्देशनों की मशीनें निर्मित की हैं और उनकी आपूर्ति की है । इसलिए प्राधिकारी ने चीन से आयातित 65.5" मशीनों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित 65.5" मशीनों की उत्पादन लागत पर विचार किया है । जहां तक 48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के लिए सामान्य मूल्य का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान इस प्रकार की मशीन निर्मित नहीं की है । तथापि, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान 48" मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस निर्मित की थी । कीमत की तुलना क्षमता को प्रभावी बनाने के लिए उनमें दिखने वाले अंतर के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 6 (1) के अनुसार उचित छूट देने की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि 46" और 48" प्रेसों का उपयोग समान किस्म के टायरों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और इसलिए ये परस्पर रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि जांच अवधि में 48" मेकेनिकल टीसीपी के उत्पादन की समंजित लागत को, 48" की हाईड्रोलिक प्रेसों के उत्पादन की लागत की संरचना के लिए मानक माना जाए ताकि सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सके ।

40. इसलिए चीन में सहयोजित एक्स-फैक्टरी कीमत के साथ संरचित सामान्य मूल्य की तुलना करके पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त उत्पाद की सहयोजित लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने ऐसे प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पृथक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसके बाद पृथक पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है ।

41. चूंकि तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में लागत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

(क) उत्पाद की विशिष्टता की दृष्टि से हुए घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों को ध्यान में रख कर रिकार्ड में उपलब्ध उत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर उत्पादन के प्रति यूनिट कच्चे माल की खपत और परिवर्तन पर विचार किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों को ध्यान में रख कर रिकार्ड में उपलब्ध उत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत को लिया गया है ।

(ग) उपयुक्त लाभ को जोड़ा गया है ।

42. प्राधिकारी द्वारा आंका गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है :-

मद का विवरण	संरचित सामान्य मूल्य : i ;/मशीन	संरचित सामान्य मूल्य स.अ.डालर/मशीन
48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	***	***
65.5" टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	***	***

चीन के लिए निर्यात कीमत

43. चूंकि प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के लिए कोई पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है, इसलिए निर्यात कीमत का निर्धारण, भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी ज्ञात आयातों के आधार पर किया गया है।

44. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार “उपलब्ध तथ्यों” के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है। हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि निर्यात कीमत संरचित नहीं की जा सकती है और विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक लदानों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अध्याय 98 के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रदत्त आयात के आंकड़ों और आयातक की प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक आयात के आंकड़ों के बीच सह-संबंध स्थापित किया गया है और उन पर विचार किया गया है। रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सीआईएफ कीमतों का समंजन किया गया है। तदनुसार एजेंट के कमीशन, पैकिंग व्यय, समुद्री भाड़े, चीन में बंदरगाह के व्यय, अंतरदेशीय भाड़े और वॉट समंजन के लिए निर्यात कीमत को समायोजित किया गया है और उसका निर्धारण नीचे दिए गए तरीके से करने का प्रस्ताव किया गया है :-

मद का विवरण	आयातित मशीनों की संख्या	सीआईएफ मूल्य स.व.डालर/मशीन	एक्स-फैक्टरी कीमत रुपय/मशीन	एक्स फैक्टरी कीमत स.व.डालर/मशीन
48” हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	18	***	***	***
65.5” टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	8	***	***	***
औसत	26	***	***	***

पाटन मार्जिन

45. जैसा की ऊपर प्रस्ताव किया गया है, एक्स-फैक्टरी कीमत सहित संरचित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

मद का विवरण	जांच अवधि में आयातित मशीनों की संख्या	संरचित सामान्य मूल्य रुपय/मशीन	एक्स-फैक्टरी कीमत रुपय/मशीन	पाटन मार्जिन रुपय/मशीन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन की सीमा
48” हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	18	***	***	***	***	20-30
65.5” टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	8	***	***	***	***	0-10
औसत	26	***	***	***	***	10-20

छ. क्षति का मूल्यांकन**घरेलू उद्योग के विचार**

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 और 98 के अंतर्गत उत्पाद का आयात किया गया है।
- (ख) विद्यमान पाटन-रोधी शुल्क, चीन के निर्यातकों के लिए पाटित कीमतों पर वस्तुओं को बेचने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यदि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तब भी ऐसी स्थिति के बने रहने की संभावना है।
- (घ) बिक्री की कीमत में वृद्धि, उत्पादन की लागत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त ऐसी तुलना भारित औसतों के आधार पर की गई है तथा विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के ऐसे अनेक उत्पाद शामिल हैं जिनकी लागत और कीमतें बहुताधिक हैं। तथापि, यदि तुलनीय किस्मों के उत्पादों की परस्पर तुलना की जाती है, तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा।
- (ङ) भारतीय बाजार में चीन के आपूर्तिकर्ताओं की निरंतर मौजूदगी से घरेलू उद्योग को उप-अनुकूलतम कीमतों की पेशकश करने के लिए विवश होना पड़ा है। इस प्रकार के उद्योग में बाजार में कम कीमत के उत्पाद की उपस्थिति मात्र से ही सभी आपूर्तिकर्ताओं को अपने उत्पाद की बिक्री में क्षति होने के भय से कम कीमतें उद्धृत करने के लिए विवश होना पड़ेगा।
- (च) प्रति मशीन लाभ/हानि से ऐसा पता चला है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने के बाद भी समस्त क्षति अवधि में उनमें गिरावट आई है।
- (छ) विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र क्षति का विश्लेषण करना होगा। विभिन्न आर्थिक प्राचलों के लिए पृथक टीसीपी क्षति विश्लेषण करना गैर-कानूनी होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी को, कीमत कटौती, प्रत्येक किस्म के टीसीपी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पृथक निर्धारण करने के बाद भी उनका भारित औसत का निर्धारण करना चाहिए और केवल भारित औसत कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ही वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं।
- (ज) पीसीएन प्रणाली केवल पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती होने और क्षति की मात्रा के लिए उपयुक्त है। समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- (झ) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रबड़ रसायनों के साथ तुलना करने के मामले को उठाया है जो कि पूर्णतया अनुपयुक्त है। रबड़ रसायनों में विभिन्न किस्मों के रबड़ रसायन विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई गई थीं और इसलिए उसमें क्षति का विश्लेषण पृथक रूप से किया गया था। सीआर क्वाइल में प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए विश्लेषण पृथक रूप से नहीं किया गया था। प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए केवल कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण पृथक रूप से किया गया था और उसके बाद उसके भारित औसत को लागू किया गया और अपनाया गया था।
- (ञ) घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित प्रत्येक किस्म की टीसीपी के उत्पादन की लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि, बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। तथापि, समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- (ट) यह स्वीकार किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि ऐसी क्षति संभवतः आयातों के कारण नहीं हो। वास्तव में मांग में गिरावट आने की स्थिति में वर्ष 2012-13 और जांच अवधि में आयातों में हुई वृद्धि से यह स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग को मांग में गिरावट आने और चीन से पाटन होने दोनों के कारण क्षति हुई है। एक से अधिक कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(ठ) वर्ष 2013-14 में शून्य आयात के स्तर से जांच अवधि की ऐसी स्थिति में जब कि मांग में गिरावट आई है, 26 मशीनों तक आयात में वृद्धि होने से ऐसा सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान स्थिति में यदि पाटन-रोधी शुल्क को रद्द किया जाता है, तो घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत दोनों के कारण अत्यधिक क्षति होगी।

(ड) याचिका दायर करते समय विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ था। जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने अध्याय 98 के अंतर्गत मौजूदा क्षति अवधि के दौरान आयात होने के साक्ष्य प्रदान किए हैं। मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग के लिए सामान्य कार्य-क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विगत जांच में भारत में आयातों की मात्रा अत्यधिक थी और जांच अवधि के दौरान इसमें दुबारा वृद्धि हुई है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में जैसा पहले होता था, वैसे ही आयात में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(ढ) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देश के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ज) तृतीय देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है क्योंकि ऐसे आयात काफी अधिक कीमतों पर किए गए थे।

(त) निरंतर पाटन होने के परिणामस्वरूप लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

(थ) उत्पादन और विक्रयों की मात्रा के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। हालांकि यह आंशिक रूप से मांग में गिरावट आने के कारण है, लेकिन फिर भी रिकार्ड में मामले के तथ्यों से स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने विक्री की अत्यधिक मात्रा को गंवा दिया है जिसका सीधे उसके उत्पादन, विक्रयों पर और परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों में मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति होगी।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. क्षति और कारणात्मक संबंध होने के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(क) घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसके इस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन के निर्यातकों ने कम कीमत उद्धृत की थी और साथ ही ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर उसने आर्थिक क्षति होने का दावा किया है।

(ख) प्रयोक्ता उद्योग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग नवंबर, 2013 की तुलना में सितंबर, 2014 तक अपने उत्पादन में 19 प्रतिशत की वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जो कि कीमत ह्रास/न्यूनीकरण की अवधारणा का खंडन करता है।

(ग) विभिन्न ग्रेड की टीसीपी हैं और इसलिए जब सभी ग्रेड की टीसीपी को एक उत्पाद ही माना जाता है तो घरेलू उद्योग के लाभ/क्षति से संबंधित सही आंकड़ों प्रदान करना संभव नहीं है। घरेलू उद्योग ने संपुष्टि की है कि लाभ के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(घ) ऐसी असंगति क्षति के अन्य प्राचलों में भी विद्यमान है क्योंकि टीसीपी को विभिन्न ग्रेड के नहीं बल्कि एक ही उत्पाद मानते हुए क्षति के सभी प्राचलों के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि समग्र टीसीपी पर क्षति का विश्लेषण करने की बजाए क्षति का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक ग्रेड की टीसीपी का पृथक रूप से विश्लेषण किया जाए।

(ङ) घरेलू उद्योग ने जिस आधार पर आर्थिक क्षति होने का दावा किया है, वह विद्यमान नहीं है क्योंकि उसे चीन के निर्यातकों द्वारा प्रदत्त उद्धृत कीमत की जानकारी नहीं है। ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को चीन के निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतों से कम करने पर विवश होना पड़ा है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग, जांच अवधि में बाजार के 63 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

(च) टीसीपी के लिए ग्रेड वार क्षति और कीमत के आंकड़े प्रदान करना अनिवार्य है ताकि क्षति विश्लेषण किया जा सके और उसने ऐसे आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं तथा इस प्रकार इन आंकड़ों के आधार पर किसी भी प्रकार की क्षति और कीमत का विश्लेषण भारतीय नियमों और विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुसार सुसंगत नहीं होगा।

(छ) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसके लिए समग्र टीसीपी के लिए लाभ के सही आंकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं है और ऐसा उत्पादन की लागत, एनआईपी आदि जैसे क्षति के अन्य आंकड़ों के संबंध में भी हो सकता है, जिनका क्षति विश्लेषण पर प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिए।

(ज) घरेलू उद्योग ने ऐसा क्षति विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिससे कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा क्योंकि यह भारतीय पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा। प्रतिवादियों द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(झ) मांग में अत्यधिक गिरावट आई है और इसने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया होगा तथा इसलिए मांग में गिरावट आने के कारण हुई क्षति के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(ञ) भारतीय विनिर्माताओं द्वारा कुल घरेलू बिक्रियां, मांग की 180 की संख्या में से 142 है और यह कुल मांग में बाजार के हिस्से का 79% (3/4) बनती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 की तुलना में जांच अवधि में तृतीय देशों के आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ कर लगभग 20% हो गया है।

(ट) वर्ष 2012-13 की तुलना में जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय उत्पादकों का बाजार का हिस्सा 79% है और इसलिए आयातों को उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आने का कारण नहीं माना जा सकता है।

(ठ) घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि याचिका में दिए गए लाभ के आंकड़े सही नहीं हैं। भारतीय नियमों और विश्व व्यापार संगठनों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रत्येक ग्रेड की टीसीपी के लिए पृथक क्षति और कीमत के आंकड़े प्रदान करने होंगे।

(ड) जांच अवधि में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में पहुंच मूल्य के 21% अधिक होने पर घरेलू बिक्री कीमत में 19% की वृद्धि होने के बाद भी घरेलू बिक्री की कीमत, विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य से कम थी। इसलिए कीमत में कटौती होने का कोई मामला नहीं बनता है और ऐसी परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को कीमत क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ढ) प्रत्येक उप विशिष्ट उत्पाद और उसके साथ उसके समान वस्तु वस्तु के लिए जहां उत्पाद मिश्रण एक जैसा नहीं है, कीमत की तुलनीय क्षमता का विश्लेषण किया जाए। विशेष प्रकार के अरीय टायर का विनिर्माण करने के लिए प्रत्येक ग्रेड की टीसीपी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक ग्रेड की टीसीपी के लिए क्षति विश्लेषण और कीमत विश्लेषण पृथक रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि वे एक समान उत्पाद नहीं हैं।

(ण) चूंकि विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के दावे का मूल्यांकन, केवल मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग पर पड़े प्रभाव को दूर करने के बाद ही किया जाए।

(त) घरेलू उद्योग ने बताया है कि इन देशों से आयात कीमतें अधिक हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि बाजार की अत्यधिक राशि को अन्य देशों से होने वाले आयातों ने ले लिया है। घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति के दावे के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(थ) आर्थिक क्षति और आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। विचार किए गए कारकों को दूर करने के लिए एक आरोपण रहित विश्लेषण किया जाए और इसलिए आयात के कारण घरेलू उद्योग द्वारा आर्थिक क्षति का दावा सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

(द) घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनकी कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक हैं। इसी प्रकार चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात की पहुंच कीमत भी घरेलू बिक्री कीमत से अधिक है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी द्वारा आगे किया गया क्षति का विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का स्वयमेव निदान कर देता है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का निदान निम्नानुसार किया गया है :-

(क) इस निवेदन के संबंध में कि प्रत्येक आकार की टीसीपी के लिए क्षति का विश्लेषण पृथक रूप से किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न आकार की टीसीपी की लागत और कीमत में अंतर होने के कारण प्राधिकारी ने डीजीएडी द्वारा अपनाई गई विगत पद्धति का अनुसरण किया है तथा प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत में कटौती का निर्धार, पृथक रूप से किया है। तथापि, चूंकि विभिन्न आकार की टीसीपी, एक समान किस्म के उत्पाद के विभिन्न रूप हैं और मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद टीसीपी है, इसलिए क्षति का कोई पृथक रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त की गई मूल जांच में भी समग्र उत्पाद का संचयी विश्लेषण किया गया था।

(ख) इस तर्क के संबंध में कि विभिन्न ग्रेड की टीसीपी होने के कारण लाभ के आंकड़ों में असंगति विद्यमान है, प्राधिकारी ने लाभ, नकदी प्रवाह, उत्पाद के लिए पीबीआईटी कर विश्लेषण, पूर्णरूपेण और न कि विभिन्न ग्रेड की टीसीपी की लागत और कीमत में भिन्नता होने की दृष्टि से प्रति यूनिट के अनुसार किया है।

49. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित अनुबंध-2 में ऐसा प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया में ऐसे कारकों की जांच करना निहित है, जिनसे ऐसा पता चलता हो कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, “..... पाटित आयातों की मात्रा सहित सभी संबद्ध तथ्यों, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों पर परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए.....।” जबकि कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह विचार करना भी आवश्यक है कि इस बात की भी जांच की जाए कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।

50. नियमावली का नियम 23 में ऐसी व्यवस्था है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी इसका निर्धारण करेंगे कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

51. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

52. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (4) में निम्नानुसार उल्लेख है:

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित

नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

53. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 (4) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे संकेतकों पर विचार किया है, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

मांग का निर्धारण

54. मांग का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों और विभिन्न स्रोतों से होने वाले आयातों पर विचार किया है। भारत में उत्पाद की मांग का परिकलन, भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और विभिन्न देशों से ज्ञात आयातों के योगफल के रूप में किया गया है। इस प्रकार से मूल्यांकित मांग को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

मांग	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	संख्या	242	187	121	114
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	संख्या	64	60	41	28
संबद्ध देश - चीन	संख्या	32	10	0	26
अन्य देश	संख्या	27	9	20	37
मांग	संख्या	365	266	182	205

55. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की प्रत्यक्ष खपत में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है। संबद्ध मशीनरी का उपयोग, ओईएम और प्रतिस्थापन बाजार दोनों के लिए टायरों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। उद्योग ने वर्ष 2011-12 में इस प्रत्याशा में बेशी क्षमता सृजित कर ली थी कि परवर्ती वर्षों में मांग में वृद्धि होगी। लेकिन परवर्ती वर्षों में ऑटोमोबाईल क्षेत्र में मांग में गिरावट आ गई और टायर के विनिर्माताओं ने वर्ष 2013-14 में अपनी क्षमता का उस सीमा तक विस्तार नहीं किया जितना कि उन्होंने विगत दो वर्षों में किया था। चूंकि वर्ष 2014-15 में ऑटोमोबाईल क्षेत्र में मांग में उछाल आ गया, इसलिए संबद्ध मशीनों की मांग में भी समान रूप से वृद्धि हो गई।

पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में सम्पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आयात के आंकड़ों, आयातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा द्वितीयक स्रोत, आईबीआई से प्रदत्त आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

आयात - मात्रा	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
चीन जनवादी गणराज्य	संख्या	32	10	0	26
अन्य देश	संख्या	27	9	20	37
कुल	संख्या	59	19	20	63
आयात - मात्रा में बाजार का हिस्सा					
चीन जनवादी गणराज्य	%	54.24%	52.63%	0.00%	41.27%
अन्य देश	%	45.76%	47.37%	100.00%	58.73%

कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
भारतीय उत्पादन के प्रसंग में आयात	%	1.65%	5.35%	0.00%	22.81%
घरेलू बिक्रियों के प्रसंग में आयात	%	1.10%	3.76%	0.00%	12.68%

57. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है और यह वर्ष 2013-14 में शून्य हो गए। तथापि, जांच अवधि में उनमें दुबारा अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 तक कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें उल्लेखनीय स्तर पर वृद्धि हुई है।

58. वर्ष 2013-14 तक उत्पादन और खपत के सापेक्ष में आयातों में गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि में उनमें दुबारा वृद्धि हुई है।

कीमत प्रभाव

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यनीकरण, यदि कोई हुआ है, के सापेक्ष में की गई है।

कीमत कटौती

60. इसका निर्धारण करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत (लागू पाटन-रोधी शुल्क के बिना) की तुलना घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ की है। नीचे तालिका में घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली, पाटित आयातों की पहुंच कीमत और कीमत कटौती को दर्शाया गया है :-

मद का विवरण	जांच अवधि में आयातित मशीनों की संख्या	संरचित सामान्य मूल्य रूपए/मशीन	एक्स-फैक्टरी कीमत रूपए/मशीन	पाटन मार्जिन रूपए/मशीन	पाटन मार्जिन %
48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	***	***	***	***	20-30
65.5" टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	***	***	***	***	0-10
औसत	***	***	***	***	10-20

61. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। इसके अतिरिक्त पूर्णरूपेण और प्रतिशत दोनों के रूप में कीमत में कटौती काफी अधिक है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती होने की संभावना है।

कम कीमत पर बिक्री

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत से कम बिक्री होना, क्षति का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है और उसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की गई है ताकि कम कीमत पर होने वाली बिक्री की कीमत का पता लगाया जा सके। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है।

63. विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत से कम था जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है :-

पाटन-रोधीशुल्क रहित पहुंच कीमत

विवरण	आयात (मशीनों की संख्या)	पाटन-रोधीशुल्क रहित पहुंच कीमत (रूपए प्रति मशीन)	समंजित आईपी/ एनआईपी (रूपए प्रति मशीन)	कीमत कटौती (रूपए प्रति मशीन)	कीमत कटौती %	कीमत कटौती की सीमा
48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	18	***	***	***	***	20-30
65.5" टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	8	***	***	***	***	0-10
भारित औसत	26	***	***	***	***	10-20

पाटन-रोधीशुल्क सहित पहुंच कीमत

विवरण	आयात (मशीनों की संख्या)	पाटन-रोधीशुल्क सहित पहुंच कीमत (रूपए प्रति मशीन)	समंजित आईपी/ एनआईपी (रूपए प्रति मशीन)	कीमत कटौती (रूपए प्रति मशीन)	कीमत कटौती %
48" हाईड्रोलिक टायर क्युरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	18	***	***	***	***
65.5" टिवन प्लेटन मेकेनिकल टायर क्युरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	8	***	***	***	***
भारित औसत	26	***	***	***	***

64. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से काफी कम है, जिसके फलस्वरूप कीमत कटौती हुई है। वर्तमान दर पर 10 प्रतिशत पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद पहुंच कीमत पर विचार करने के बाद 4 प्रतिशत की कम कीमत पर बिक्री होने से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क की वर्तमान दर संबद्ध वस्तुओं के पाटन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

65. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन की लागत से की गई है। नीचे तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि क्षति अवधि में उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से काफी अधिक है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हो रहा है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत - घरेलू	रूपए/संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	107	96
बिक्री कीमत - घरेलू	रूपए/संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	100	87

ज. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्राचल

66. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनमें घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संबद्ध आर्थिक कारक और संकेतक शामिल हैं। साथ ही इनमें बिक्रियों में प्राकृतिक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी जुटाने की क्षमता भी शामिल है।

बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

67. बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
क्षमता	संख्या	600	600	600	600
उत्पादन	संख्या	331	204	141	140
क्षमता उपयोग	%	55.17%	34.00%	23.50%	23.33%
घरेलू बिक्रिया	संख्या	242	187	121	114

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता समस्त क्षति अवधि में यथावत् बनी हुई है। पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों के लागू होने के बावजूद जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्रियां और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यह निवेदन किया गया है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी आने और उसके परिणाम स्वरूप टायर

विनिर्माताओं द्वारा पूंजीगत व्यय को नियंत्रित रखने के कारण मांग में गिरावट आई है। इन परिस्थितियों में यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो अत्यधिक पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति होगी।

मांग में बाजार का हिस्सा

69. घरेलू बिक्रियों और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

मांगे में बाजार का हिस्सा	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	66.30%	70.30%	66.48%	55.61%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	17.53%	22.56%	22.53%	13.66%
चीन	%	8.77%	3.76%	0.00%	12.68%
अन्य देश	%	7.40%	3.38%	10.99%	18.05%
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

70. यह देखा गया है कि पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद मांग में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

[71. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री की कीमत तथा लाभ/हानि का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैं :-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	85	53	45
बिक्री मूल्य	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	85	51	43
लाभ/हानि (पीबीटी)	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध		(100)	(116)	(181)	(203)
औसत पीबीटी प्रति मशीन	रुपए/यूनिट	***	***	***	***
सूचीबद्ध		(100)	(151)	(363)	(430)
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध		(100)	(146)	(516)	(565)
लाभ/हानि (पीबीआईटी)	लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध		(100)	(123)	(278)	(330)
उत्पादकता प्रति दिवस	संख्या/दिवस	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	62	43	42
निवेश पर प्रतिलाभ- एनएफए के आधार पर	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		(100)	(128)	(368)	(480)

72. यह देखा गया है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी आने और उसके परिणाम स्वरूप अंत प्रयोक्ताओं अर्थात् टायर विनिर्माताओं द्वारा क्षमता को बढ़ाने पर होने वाले पूंजीगत व्यय को नियंत्रित रखने के कारण मांग संबद्ध

वस्तुओं की मांग में गिरावट आने के कारण क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत और बिक्रियों के मूल्य में गिरावट आई है। इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को समस्त जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटे हुए हैं। जांच अवधि में वित्तीय घाटे बढ़ते हुए गए। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि ऐसी प्रतिकूल स्थिति, चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बाजार में पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति बनाए रखने और पाटन-रोधी शुल्क का समावेशन करने के कारण हुई है।

73. क्षति अवधि में नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ से निरंतर गिरावट आने का पता चल रहा है।

मालसूचियां

74. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए माल सूचियों पर मात्रा और मूल्य के आधार पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत पर विचार करते हुए मशीनों की औसत संख्या निर्धारित की गई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
मूल्य में					
अथ	लाख रूपए	***	***	***	***
अंत	लाख रूपए	***	***	***	***
औसत	लाख रूपए	***	***	***	***
मात्रा में					
अथ	संख्या	***	***	***	***
अंत	संख्या	***	***	***	***
औसत	संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	65	42	37

रोजगार और वेतन

75. रोजगार और वेतन की स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***

76. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसलिए ऐसे प्राचलों से पाटन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का पता नहीं चलता है।

उत्पादकता

77. उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
उत्पादकता प्रति दिवस	संख्या/दिवस	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	62	43	42
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	65	50	52

78. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की प्रवृत्ति के अनुकरण में क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

79. संबद्ध आयातों की कीमत और अन्य देशों की आयात कीमत, लागत ढांचे, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों से भिन्न ऐसे कारकों जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, पर विचार करने से ऐसा पता चलेगा कि संबद्ध आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में अत्यधिक कीमत कटौती हो रही है। भारतीय उत्पादकों की कीमत का मानक भारत में आयात की कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। हालांकि उत्पाद की मांग में गिरावट आई है, फिर भी जैसा देखा गया है, बिक्रियों और उत्पादन में आई गिरावट मांग की गिरावट से बहुताधिक है और इसलिए यह घरेलू उद्योग की क्षति का कारक नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी कारक, वस्तुओं का पाटन करने वाले देशों से उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत हैं। जैसा कि सूचना से पता चलता है, आयातों की पहुंच कीमत, क्षति रहित कीमत, बिक्री कीमत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से भी कम है और इसलिए ऐसी संभावना है कि आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करते हैं।

झ. पाटन की मात्रा

80. संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर और अत्यधिक है।

मद का विवरण	संरचित सामान्य मूल्य रूपए/मशीन	एक्स-फैक्टरी कीमत रूपए/मशीन	पाटन मार्जिन रूपए/मशीन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन की सीमा
टायर क्यूरिंग प्रेस	***	***	***	***	10-20

ज. क्षति पर निष्कर्ष

81. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संपूर्णता की दृष्टि से तथा साथ ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के प्रसंग में काफी वृद्धि हुई है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं जिसके कारण बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर अत्यधिक मूल्य ह्रास का प्रभाव पड़ा है। निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है। उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद प्रवाह जैसे विभिन्न आर्थिक प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। जबकि यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में भी गिरावट आई है, फिर भी यह पाया गया है कि विगत वर्षों की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त जांच अवधि में आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम है। ऐसी स्थिति में पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके फलस्वरूप अत्यधिक कीमत ह्रास होने की भी संभावना है।

पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने और उनकी आवर्ती होने की संभावना

घरेलू उद्योग के विचार

82. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने और उनकी आवर्ती होने की संभावना पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) पाटन की संभावना से संबद्ध कारक क्षति की संभावना के साथ-साथ मौजूदा मामले से भी संबद्ध हैं।
- (ख) भारतीय बाजार में किए गए आयात, पाटित कीमतों पर किए गए हैं।

- (ग) संबद्ध देश से निर्यातक तृतीय देश को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कर रहे हैं।
- (घ) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।
- (ङ) प्रचलित पाटन-रोधी शुल्कों के बिना कीमत कटौती सकारात्मक है।
- (च) आयात कीमतों की पेशकश, घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से आर्थिक रूप से कम है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने पर उपभोक्ता आयातित उत्पाद की ओर प्रवृत्त होगा जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- (छ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में फ्रंट एक्सिल बीम और स्टीयरिंग नुक्लस के मामले में अंतिम निर्णय जारी किया है, जिसमें कुछ समय से विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। इसके बावजूद इस आधार पर पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है कि यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होते रहने की संभावना है।
- (ज) इस तथ्य से कि किसी अन्य देश ने चीन के पाटन के खिलाफ रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की है, यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि चीन पाटन नहीं कर रहा है। यदि तृतीय देश द्वारा पाटन संबंधी कार्रवाई से ऐसी संभावना होने की पुष्टि की पूर्वापेक्षा है तो विश्व के देश प्रत्येक वर्ष अनेक उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाते। ब्राजील ने इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी अन्य देश ने ब्राजील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, भारतीय पटसन बोरों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है।
- (झ) मौजूदा मामले में आधार अवधि से ले कर जांच अवधि के पश्चात् कुल 106 मशीनों का आयात किया गया है। चीन के उत्पाद ने अब 28 मशीनों की आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया है। उसके पास पर्याप्त क्षमता विद्यमान होने के बिना इतना उत्पादन करना संभव नहीं है। इस तथ्य से कि चीन की कंपनियों ने इतनी संख्या में मशीनों के लिए दर उद्धृत की हैं, यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भी क्षति के अत्यधिक होने की संभावना है।
- (ञ) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि पाटन—रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखा जाए और शुल्क का उच्च स्तर लागू किया जाए ताकि घरेलू उद्योग को पूरा संरक्षण दिया जा सके क्योंकि पहले से लागू पाटन-रोधी शुल्क का वर्तमान स्तर, घरेलू उद्योग को अत्यधिक पाटित आयातों द्वारा यथा सूचित अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

83. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने और उनकी आवर्ती होने की संभावना पर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (क) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन द्वारा विचाराधीन उत्पाद का तृतीय देश का पाटन विद्यमान है और यदि पाटन—रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह भारत की ओर अपवर्तित हो जाएगा। भारत के अलावा विश्व के किसी भी अन्य देश ने चीन जनवादी गणराज्य से टीसीपी के आयात के खिलाफ कोई पाटन-रोधी जांच की शुरुआत नहीं की है। इस प्रकार चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के पाटन का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (ख) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यातकों के पास प्रयोज्य वर्तमान और संभावित क्षमता विद्यमान होने के कारण घरेलू उद्योग आयातित वस्तुओं से असुरक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादियों का यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ग) यदि ऐसी कल्पना की जाती है कि बेशी क्षमता विद्यमान है, तो भी यह ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए आधार नहीं हो सकती है कि इससे क्षति होने का सन्निकट खतरा है। इस प्रकार भारतीय स्पिनर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग के ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

84. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की जांच की है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने की मांग की थी।

(1) वर्तमान और बिगत पाटन मार्जिन का स्तर

85. मूल और मौजूदा दोनों जांच में पाटन मार्जिन का स्तर अत्यधिक है। घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद भी पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात निरंतर जारी हैं। समीक्षा अवधि के दौरान कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने और कीमत ह्रास होने के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(2) क्षति अवधि की तुलना में आयातों की मात्रा

86. यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बाद वर्ष 2013-14 तक आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन जांच अवधि के दौरान उनमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान कुल 26 मशीनों का आयात किया गया है जो कि भारत में कुल मांग का 12.68% भाग बनती है। इसके अतिरिक्त ऐसे आयात पाटित कीमतों पर किए गए हैं तथा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही अत्यधिक हैं। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर किए गए हैं। प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस प्रकार क्षति अवधि के दौरान आयातों की वर्तमान मात्रा और उसकी कीमतों से इसकी संपुष्टि होती है कि पाटन-रोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद भी पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और पाटन निरंतर बना हुआ है तथा उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है, ऐसे प्राचल स्वतः यह सिद्ध करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

(3) जांच अवधि पश्चात आयातों की मात्रा

87. पाटन के निरंतर जारी रहने और चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का भी विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के पश्चात अर्थात् अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति बहुगुणा बढ़ जाएगी।

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (6 मास)
चीन से आयात (संख्या)	32	10	-	26	38

(4) जांच अवधि पश्चात घरेलू उद्योग का निष्पादन

88. जांच अवधि पश्चात पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को उनके प्रभाव की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि की तुलना में जांच पश्चात अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतया और साथ ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के सापेक्ष में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हालांकि यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी लाभ और पीवीआईटी में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग निरंतर कमजोर बना हुआ है। यदि घरेलू उद्योग को

शुल्क के समाप्त किए जाने के कारण आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य के समान कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं को बेचने के लिए विवश किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक वित्तीय घाटे होंगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ और बदतर होगा। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(5) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

89. जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे घरेलू बाजार में बेची जा रही वस्तुओं की कीमतों से पर्याप्त रूप से कम हैं। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर चीन के उत्पादक अत्यधिक से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनायेंगे। इस प्रकार यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटित कीमतों पर चीन के उत्पाद की अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करने की संभावना हो जाएगी।

(6) प्रमुख निर्यातकों का निर्यात अभिमुखीकरण

90. रिकार्ड के अनुसार चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता विद्यमान है, जो कि भारतीय स्थानीय बाजार की मांग से काफी अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों से संबद्ध देश में निर्यातकों के निर्यातों के प्रतिशत का पता चलता है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कंपनी	निर्यात अभिमुखीकरण
	क्विंगडाओ हुईकाई मशीनरी मेन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	61% - 70%
	क्विंगडाओ शेन्घुआलॉग रबड़ मशीनरी कंपनी लिमिटेड	51% - 60%
	क्विंगडाओ गुआंगुओ रबड़ मशीनरी कंपनी लिमिटेड	31% - 40%
	झिआंगियान लिशेंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड (जेवाईएलएसएम)	11% - 20%
	क्विंगडाओ फांगुआंडा रबड़ मशीन कंपनी लिमिटेड	21% - 30%
	क्विंगडाओ प्लाटसिआ इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	81% - 90%
	क्विंगडाओ ईनोर साईन्स एंड कंपनी लिमिटेड	81% - 90%
	क्विंगडाओ ग्रीन रबड़ मशीनरी कंपनी लिमिटेड	61% - 70%
	क्विंगडाओ वानवाओ मशीनरी कंपनी लिमिटेड	71% - 80%
	क्विंगडाओ पावरफुल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	51% - 60%
	कोमिक्स कयुरिंग एजेंट टेक्नोलॉजी व्युक्सी कंपनी लिमिटेड.	31% - 40%

पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

91. पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से जांच अवधि के दौरान आयातों की वर्तमान मात्रा, कीमत में कटौती होने, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही जांच अवधि पश्चात् घरेलू उद्योग का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन के अत्यधिक गहन हो जाने की संभावना है और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि आयात की कीमतें, घरेलू कीमतों की कटौती करेंगी तथा साथ ही उनका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक दमनकारी प्रभाव भी पड़ेगा। देश में उपलब्ध बेशी क्षमता और अधिक निर्यात अभिमुखीकरण से संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना का पता चलता है।

ट. कारणात्मक संबंध

92. अधिनियम की धारा 9 क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन और क्षति की संभावना तथा शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करना आवश्यक होता है। तदनुसार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटित आयातों के अत्यधिक बढ़ने और उसके कारण क्षति होने की संभावना है। इसके बावजूद

प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति हो सकती है।

(क) पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य : हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात, उच्चतर कीमतों पर होते हैं। चूंकि तृतीय देशों से आयात की कीमतें, वास्तविक रूप से चीन और घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी अधिक हैं, इसलिए तृतीय देशों के आयात, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण नहीं हो सकते हैं।

(ख) मांग में संकुचन : प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग से ऐसा पता चलता है कि उसमें आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तथापि, मांग में ऐसी गिरावट, आयातों में आई गिरावट से काफी अधिक है। इसलिए मांग में संकुचन ही एक मात्र ऐसा कारण नहीं है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। इसके अतिरिक्त मांग में गिरावट आने की स्थिति में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

(ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन : विचाराधीन उत्पाद से संबंधित खपत पैटर्न में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी संभावना नहीं है कि खपत में परिवर्तन होने से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा प्रतिस्पर्द्धा : ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(ङ) प्रोद्योगिकी में विकास : यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रोद्योगिकी में विकास होना क्षति का संभावित कारक है। घरेलू उद्योग विगत अनेक वर्षों से विचाराधीन उत्पाद निर्मित कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रोद्योगिकी विश्व भर में अन्य विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रोद्योगिकी के समनुरूप है।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन : घरेलू उद्योग में बहु-उत्पाद कंपनियों शामिल हैं। तथापि, केवल विचाराधीन उत्पाद का ही क्षति विश्लेषण किया गया है।

(छ) उत्पादकता : प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में मापित घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है और उसके उत्पादन में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही है। तथापि, यह देखा गया है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन में गिरावट आना, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है।

ठ. क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, ताकि क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। इस तरह से निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	आयात (मशीनों की संख्या)	पहुंच कीमत (रूपए प्रति मशीन)	समंजित आईपी/एनआईपी (रूपए प्रति मशीन)	क्षति मार्जिन (रूपए प्रति मशीन)	क्षति मार्जिन %	सीमा
48" हाईड्रोलिक टायर क्यूरिंग प्रेस के साथ तापन मॉड्यूल और सभी प्रकार से संपूर्ण सर्ज कन्वेयर	18	***	***	***	***	20-30

65.5" टिवन प्लेटन मैकेनिकल टायर क्यूरिंग प्रेस के साथ वर्टिकल चुक लोडर तथा पाईपिंग, विद्युतीय और उपकरण सहित खंडित संपूर्ण मोल्ड अप्रेटर	8	***	***	***	***	0-10
भारित औसत	26	***	***	***	***	10-20

ढ. प्रकटन के बाद की टिप्पणियां

घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:

क . प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की तुलना की पद्धति की पुष्टि करनी चाहिए।

ख . पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग शब्द के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

ग . एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक ने एक बार फिर आंशिक रूप से सहयोग किया है और प्रश्नावली का अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है।

घ . विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रविष्ट होना जारी है। इसके अलावा , पाटन मार्जिन में मूल जाँच की तुलना में वृद्धि हुई है।

ङ . विचाराधीन उत्पाद की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से वास्तविक रूप से कम रही है जिससे भारी क्षति मार्जिन रहा है।

च . मूल जाँच की तुलना में क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

छ . चीन जन . गण . से विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

ज . यद्यपि याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया है कि चीन से विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हुए हैं तथापि , जाँच के दौरान जुटाए गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद के पर्याप्त आयात हुए हैं। वास्तव में , आयातों की मात्रा में वर्तमान क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

झ . चीन से आयात और वर्तमान क्षति अवधि के दौरान और जाँच अवधि के बाद मांग की तुलना मूल मामले की जाँच अवधि के साथ करने पर पता चलता है कि आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और वर्तमान जाँच अवधि में भारत में खपत के संबंध में भी मूल जाँच के समय समग्र रूप से और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा से अधिक रहे हैं। इस प्रकार , यद्यपि इससे एक ओर चीन के निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क को अपनाया जाना सिद्ध होता है जबकि इससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना और पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाये जाने की जरूरत भी सिद्ध होती है।

ञ . प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी अनावश्यक रूप से कम है।

ट . 48" प्रेस के लिए एनआईपी के संबंध में , घरेलू उद्योग ने बताया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मैकेनिकल प्रेस की औसत बिक्री कीमत को 2011- 12 में बेची गई हाइड्रोलिक प्रेस की औसत बिक्री कीमत से लेना उचित नहीं होगा। प्राधिकारी को उसी अवधि अर्थात् 2011-12 के दौरान हाइड्रोलिक और यांत्रिक रूप में बेची गई मशीनों की औसत कीमत पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा तर्कसंगत लाभ के लिए समायोजन कारक भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यदि उत्पादित और बेची गई विभिन्न मशीनों के लाभ का स्तर समान नहीं है तो 48" और 65.5" के लिए लाभ के स्तर भी समान नहीं हो सकता है। प्राधिकारी को 48" हाइड्रोलिक मशीन की क्षतिरहित कीमत का परिकलन करने के लिए नियोजित पूंजी पर आय की गणना के लिए समायोजन कारक को भी प्रयोग करना चाहिए।

ठ . आंतरिक भाड़े , लूज टूल्स , भण्डार और कलपुर्जे , इंजीनियरी और पेशेवर और परामर्श शुल्क , यात्रा और परिवहन के लिए किए गए व्ययों की संपूर्णता को स्थिर व्यय नहीं माना जा सकता है। वास्तव में , आवेदन प्रपत्र में ही घरेलू उद्योग के लिए आंतरिक भाड़े , लूज टूल्स , भण्डार और कलपुर्जे , यात्रा और परिवहन को स्थिर और परिवर्तनशील व्ययों में अलग करना अपेक्षित है। ऐसे मामले में , इन व्ययों को विशेष रूप से तब जबकि आवेदन प्रपत्र में ही व्ययों को स्थिर और परिवर्तनशील रूप में अलग-अलग करना अपेक्षित है , संपूर्णता में देखा जाना अनुचित है।

ड . आंतरिक भाड़े को परिवर्तनशील व्यय माना जाना चाहिए और इसलिए इन्हें एकसमान नहीं माना जाना चाहिए।

ढ . कार्यशील पूंजी को उपभेक्ताओं से प्राप्त अग्रिम के लिए कम नहीं करना चाहिए।

ण . आयात की पंहुच कीमत को उस अग्रिम से समायोजित किया जाना चाहिए जो निर्यातकों को प्राप्त हुआ था। यदि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त अग्रिम को कार्यशील पूंजी से घटाया जाता है तो ऐसे अग्रिम को आयातों के पंहुच मूल्य से भी घटाया जाना अपेक्षित है।

त . अनुबंध ।।। के अनुसार एनआईपी का निर्धारण नियमावली के अन्य उपबंधों से असंगत है।

थ . कमीशन , बिक्री कर , बाह्य भाड़ा और अशोधित ऋण को एनआईपी में जोड़ा जाना अपेक्षित है।

द . पाटनरोधी शुल्क को मूल्यानुसार जारी रखा जाना चाहिए और उसकी राशि बढ़ायी जानी चाहिए।

हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

95. आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) की ओर से किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:

क . अनेक क्षति संबंधी मापदंड घरेलू उद्योग द्वारा उनके अनुरोधों में प्रदत्त किए गए से बिल्कुल अलग है और इससे ही प्रकटन रिपोर्ट अवैध हो जाती है क्योंकि वह प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों में दर्शाए गए तथ्यों पर आधारित नहीं है।

ख . लाभ मौखिक सुनवाई के बाद के अनुरोधों में बताया गए से अलग है। यदि घरेलू उद्योग ऐसे अलग आंकड़े उपलब्ध कराता है तो निरंतर बदले गए आंकड़ों के मद्देनजर आंकड़ों की सत्यता विवादित है। ऐसे आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उनकी टिप्पणियों में अन्य हितबद्ध पक्षों को क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए तथापि , यदि यह आंकड़े माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध थे , तो इन्हें हितबद्ध पक्षों को पहले क्यों नहीं बताया गया और हितबद्ध पक्षों को उनपर टिप्पणी करने के अवसर से क्यों वंचित रखा गया।

ग . इस जांच के दौरान लाभ/हानि के अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। विसंगति का पहला मामला पूर्ववर्ती अनुरोधों में प्रतिवादी द्वारा दर्शाए गए लाभ के आंकड़े हैं। जब इन आंकड़ों की सत्यता पर प्रतिवादी ने प्रश्न उठाया तो घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में इन आंकड़ों की विसंगति को स्वीकार किया जिसमें लाभ कमाने के पश्चात घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा था।

घ . एटीएमए सहित प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों ने आज की तारीख तक अध्याय 98 के अंतर्गत आईबीआईएस से सौदावार आयात आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया है जो डीजीएडी की सुस्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है और पहली बार इसका उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया है।

ड . माननीय निर्दिष्ट पदाधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकृत आयात आंकड़ों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस स्थिति का समर्थन सैनडिश इन्टरनेशनल में दिल्ली उच्च न्यायालय की समुक्ति में भी हुआ है।

च . डी ए अर्धन्यायिक कार्यकर्ता है और ऐसे कार्य स्वभाविक न्याय के सिद्धांतों के अधीन होते हैं इन सिद्धांतों में अपेक्षित है कि माननीय डीए प्रतिवादी पक्षों को ऐसे सभी संगत तथ्यों का प्रकटन करें जिनके आधार पर वर्तमान प्रकटन विवरण जारी किया गया है।

छ . टीसीपी में विभिन्न ग्रेड शामिल हैं और प्रत्येक ग्रेड का प्रयोग विशेष प्रकार के रेडियल टायर के विनिर्माण में होता है जिसका प्रयोग अन्य टायरों के विनिर्माण में नहीं हो सकता है। इस अंतर के कारण टीसीपी के विभिन्न ग्रेडों के भार और कीमत में काफी अंतर होता है। 46" और 48" इंच प्रेस प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इसलिए उन्हें समान उत्पादन नहीं माना जा सकता है।

ज . डीए ने 48" टीसीपी के लिए एनआईपी निर्धारित नहीं की है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा 48" उत्पादित नहीं हुई थी और इसलिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का प्रयोग करके एनआईपी ज्ञात नहीं की जा सकती है। 48" टीसीपी के लिए कम कीमत पर बिक्री का निष्कर्ष निकालने का आधार स्पष्ट नहीं है।

झ. उद्योग में आय की ऐतिहासिक दर पर एनआईपी निर्धारित करते समय विचार किया जाना चाहिए और इसलिए उनका अवश्य प्रकटन होना चाहिए।

ज. चूंकि अन्य आयातकों ने भी पीयूसी का आयात किया है इसलिए केवल आईबीआईएस के आंकड़ों के आधार पर क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सटीक आयात आंकड़े पता लाना संभव नहीं है। घरेलू उद्योग कुल आयात आंकड़ों के परिकलन के लिए आईबीआईएस आंकड़ों की तुलना एनसीवी सूचीबद्ध सूचना के साथ कैसे कर सकता है।

ट. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आधिक्य क्षमता संबंधी खंडन पर विचार नहीं किया है। एक पेज की सारांश में प्रदत्त सूचना आधिक्य क्षमता के संबंध में डीआई के निष्कर्षों का समर्थन नहीं करती है क्योंकि उसमें उल्लेख नहीं है कि स्थापित क्षमता में वृद्धि निर्यातों के लिए और वह भी भारत के लिए की जा रही है।

ठ. टीसीपी के उन ग्यारह विनिर्माताओं जिनके ब्यौरे निर्यात उन्मुख होने के लिए दर्शाए गए हैं, में से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि जो दर्शाता हो कि इनमें से किसी के पास आधिक्य क्षमता है।

96. गुईलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री (जीआरएम) की ओर से किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

क. जीआरएम ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से पूरा सहयोग किया है और प्रश्नावली का पूरा और विस्तृत उत्तर दिया है।

ख. जीआरएम ने जेके टायर्स को 65.5 की केवल 8 मशीनों का निर्यात किया है। जांच अवधि के दौरान जेके टायर्स द्वारा सीएनपीएफटी से ली गई 48" की शेष 18 मशीनें मेसर्स मैसनेक कंपनी लि. चीन जन.गण. द्वारा आपूर्ति की गई थी। सीएनपीएफटी और मैसनेक दोनों जीआरएम से संबंधित कंपनियां नहीं हैं।

ग. समस्त सूचना को अस्वीकार करना एडी करार के अनुबंध ॥ के पैरा 5 का उल्लंघन है। जीआरएम ने जब भी प्राधिकारी ने मांगी पूरी सूचना प्रदान करके पूरी जिम्मेदारी से कार्य किया है और आंकड़ों का सत्यापन करवाने की पेशकश की है। अस्वीकृति से पहले प्राधिकारी को निर्यातक के परिसर में सत्यापन करना चाहिए था।

घ. 130" से अधिक के टीसीपी को विशेष रूप से बाहर रखा जाए जैसा कि मूल रूप से मूल जांच में बाहर रखा गया था। घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं करता है।

ड. आकार उत्पाद की कीमत के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है इस प्रकार एडीडी को 48" तक के टीसीपी और 48"-130" के बीच के अन्य टीसीपी के लिए आकार के अनुसार 2 समूहों में पीयूसी के रूप में विभाजित करके एडीडी लागू करना चाहिए था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

97. उत्पादक, प्रयोक्ता एसोसिएशन और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत मुद्दों का पहले ही संगत पैराग्राफों में समाधान किया गया है तथापि स्पष्टता के लिए यहां कुछ मुद्दों का सार रूप में निम्नानुसार समाधान किया जा रहा है:-

क. एटीएमए, प्रयोक्ता एसोसिएशन ने तर्क किया है कि प्रकटन विवरण में अनेक क्षति संबंधी मापदंड घरेलू उद्योग की याचिका या अनुरोध से बिल्कुल अलग हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) वर्तमान प्रकटन विवरण प्राधिकारी द्वारा की गई जांच और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग की याचिका या अनुरोधों में दिए गए आंकड़े और प्राधिकारी द्वारा विचारित आंकड़े समान हों, (ख) वास्तव में चूंकि प्राधिकारी स्वयं जांच करते हैं इसलिए आंकड़े पक्षों दिए गए आंकड़ों से अलग हो सकते हैं। (ग) जांच का एक प्रयोजन सही तथ्यों को ज्ञात करना है। (घ) प्रकटन विवरण का प्रयोजन हितबद्ध पक्षों को निर्धारण का आधार बनने वाले विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के बारे में सूचित करना है। (ड.) हितबद्ध पक्षों को उनके तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है।

ख. यह भी नोट किया जाता है कि जहां तक पीवीटी और पीवीडीटी जैसे मापदंडों का संबंध है याचिका में दी गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना में कोई अंतर नहीं है। मापदंडों के संबंधों में थोड़े बदलाव हुए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त क्षति संबंधी विवरण में अनेक अतिरिक्त सूचना जैसे ह्रास की राशि, ब्याज आदि की राशि दी गई थी जिसका उद्देश्य संगत आर्थिक मापदंड (नकद लाभ या आरओआई) ज्ञात करना है। घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुछ गणनाएं इस संबंध में सही स्थिति नहीं दर्शाती है कि क्या आंकड़े सकारात्मक है या नाकारात्मक (आंकड़े सही हैं परंतु यह तथ्य की आंकड़े ऋणात्मक हैं कुछ स्थानों में ठीक ढंग से नहीं दर्शाया गया है)। तथापि यह नोट किया जाता है कि जहां

तक आर्थिक मापदंडों का संबंध है उन्हें अगोपनीय अंश में सही ढंग से सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए पूरी अवधि में नकद लाभ ऋणात्मक रहा है और उसे क्षति विवरणों के अनुसार दर्शाया गया है। तथापि नकद लाभ की गणना करते समय घरेलू उद्योग में अपनी गणना (यह कि नकद लाभ, लाभ और मूल्य ह्रास के योग्य के अनुसार निर्धारित किया गया है) दर्शाया है जिसमें लाभ/हानि के आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि आंकड़े निर्धारित हैं तथापि यह तथ्य की लाभ के आंकड़े ऋणात्मक हैं उसी क्षति विवरण में दी गई लाभ की सूचना से स्पष्ट हो जाता है। किसी भी तरह से जहां तक विहित आर्थिक मापदंडों का संबंध है उनकी सूचना सही ढंग से दी गई है।

ग. सूचना के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना का अगोपनीय अंश घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही दिनांक 11.12.2015 को प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि संबंधित आयातक वर्तमान जांच में भी भाग ले रहा है और इसलिए हितबद्ध पक्षों को संगत सूचना की पूरी जानकारी है।

घ. स्वभाविक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है और सभी हितबद्ध पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया है। स्वभाविक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले हितबद्ध पक्ष वास्तव में संगत सूचना रखते हैं और वस्तुतः उन्होंने आयातक प्रश्नावली के अपने उत्तर के जरिए ऐसी सूचना प्रस्तुत की है। अतः यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हितबद्ध पक्षों को घरेलू उद्योग या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार कि गई सूचना की जानकारी नहीं है।

ड. जहां उत्पाद के प्रत्येक ग्रेड के लिए क्षति विश्लेषण के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय, क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में अनुबंध-॥ के अंतर्गत क्षति विश्लेषण विचाराधीन उत्पाद के संबंध में समग्र रूप से करना अपेक्षित है। कानून इन मापदंडों के संबंध में प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग क्षति विश्लेषण की अनुमति नहीं देता है। यदि टीसीपी के विभिन्न प्रकार की लागत और कीमत में भारी अंतर को देखते हुए प्राधिकारी ने विभिन्न प्रकारों के लिए पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन अलग-अलग निर्धारित किया है और तत्पश्चात् समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए भारी औसत पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन ज्ञात किया है।

च. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने 48" टीसीपी के लिए एनआईपी निर्धारित नहीं की है प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में प्राधिकारी के लिए समान वस्तु की एनआईपी निर्धारित करना अपेक्षित है और ऐसा वर्तमान मामले में किया गया है। प्राधिकारी ने एनआईपी के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पीओआई के दौरान उत्पादित 65" टीसीपी से संबंधित वास्तविक सूचना पर विचार किया है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा 48" हाइड्रोलिक टीसीपी उत्पादित नहीं की गई है इसलिए प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 48" मैकेनिकल टीसीपी के आंकड़ों को आयातित 48" हाइड्रोलिक टीसीपी के समान वस्तु मानने को उचित समझा है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया है। यह कानून के अनुसार है कि जहां घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद प्रकार की पेशकश नहीं की है प्राधिकारी के लिए ऐसी अन्य वस्तु पर विचार करना अपेक्षित है जो यद्यपि सब तरह से समान न हो तथापि उसमें जांच के अधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती जूलती विशेषताएं हों।

छ. नियोजित पूंजी पर आय पर विचार करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 22 प्रतिशत आरओसीई अपनाना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है चाहे ऐतिहासिक आय 22 प्रतिशत से अधिक रही हो। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में तर्क संगत आय की दर और न कि आय की ऐतिहासिक दर पर विचार करना अपेक्षित है। नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति देना उचित और तर्कसंगत है।

ज. अन्य आयातकों द्वारा संभव आयात के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को जांच के दौरान संगत सूचना प्रदान करने और जांच में भाग लेने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके अलावा आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश उपभोक्ता जिसके सदस्य हैं ने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से सूचना मांगी है और घरेलू उद्योग ने आईडीआईएस के अनुसार सूचना उपलब्ध करायी है। हितबद्ध पक्षों को ऐसी स्थिति जहां देश में सूचना प्रदान करने वाली अनेक निजी एजेंसियां हैं, में द्वितीयक श्रोतों से आंकड़े लेने की स्वतंत्रता है। इस प्रयोजनार्थ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर भी विचार किया गया है इस प्रकार आयातों की मात्रा और कीमत रिकार्ड में उपलब्ध समस्त सूचना पर विचार करके तय की गई है। कोई भी पक्ष संभावित गैर आयातों को दर्शाने में सक्षम नहीं था जिन्हें वर्तमान आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया हो।

झ. इस दलील के संबंध में की घरेलू उद्योग को किसी आयातक द्वारा बताएं परिकलित आयातों को ज्ञात नहीं करना चाहिए था। प्राधिकारी उक्त समुक्ति को दोहराते हैं और नोट करते हैं कि आईबीआईएस आंकड़ों को आसानी से प्रश्नावली के उत्तर के एनसीवी के साथ जोड़ा जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में सुनवाई के बाद की अपने लिखित अनुरोधों में विभिन्न सूचना प्रस्तुत की है जैसे आईबीआईएस के अनुसार आयात विवरण, सामान्य मूल्य निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन। निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन विवरण में उल्लिखित वस्तुओं का विवरण आईबीआईएस आंकड़ों में उल्लिखित विवरण के अनुसार है और वह आयातक द्वारा उसकी प्रश्नावली के उत्तर में उल्लिखित विवरण से अलग है इसके अलावा घरेलू उद्योग ने विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है कि वे कैसे इस सूचना तक पहुंचे हैं जो स्पष्टतः दर्शाता है कि उन्होंने अध्याय 98 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातों के लिए आईबीआईएस और अन्य द्वितीय स्रोत से सूचना मांगी है।

ज. इस दलील के संबंध में कि प्राधिकारी ने आधिक्य क्षमता संबंधी खंडन पर विचार नहीं किया है प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई और पीओआई के बाद में आयात की वास्तविक मात्रा संबंधी सूचना स्वयं दर्शाती है कि वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद आयातों की मात्रा मूल अवधि में आयातों की मात्रा से अधिक रही है जबकि चालू अवधि में उत्पाद की मांग मूल पीओआई में उत्पाद की मांग से कम रही है। यह तथ्य की चीन की उत्पादकों ने अप्रैल, 11 से मार्च, 14 के दौरान 106 मशीनें बेची हैं जबकि उन्होंने मूल मामले की क्षति अवधि के दौरान केवल 31 मशीनें बेचीं थी, स्वयं चीन में भारी आधिक्य क्षमता की मौजूदगी सिद्ध करता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीओआई में आयातित 26 मशीनें देश में उत्पाद की मांग का 12.68 प्रतिशत हैं और इसलिए यह संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

ट. गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री ने तर्क दिया है कि उन्होंने उत्तर प्रस्तुत करने में पूरा सहयोग किया है। उनके विवरण के अनुसार चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन उनका एक मात्र एजेंट हैं और उसे प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है और यह कि प्राधिकारी द्वारा बतायी गई 48" की 18 मशीनें वस्तुतः मैसनेक कंपनी लि. द्वारा उत्पादित थीं जो गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री का प्रश्नावली के उत्तर पर जांच के दौरान गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री के विधिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी और अधूरे उत्तर संबंधी चिंताओं पर चर्चा की गई थी। इसको देखते हुए अग्रिम रूप से सूचित किया गया कि सत्यापन की प्रक्रिया उचित नहीं होगी। जीआरएम को गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री द्वारा किए गए निर्यातों और भारत में किए गए कुल आयातों के संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की पर्याप्त अवसर दिया गया था तथापि जीआरएम और मैसनेक द्वारा उत्पादित की जा रही मशीनों की संख्या की पुष्टि पहली बार प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों के समय प्राधिकारी की जानकारी में लायी गई। चूंकि गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तुएं चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन द्वारा निर्यातित की गई थी और चूंकि चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन इन मशीनों के विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है इसलिए किसी भी तरह से यह स्पष्ट है कि प्रश्नावली का उत्तर अधूरा है क्योंकि गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री ने उत्पादक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दिया है परंतु निर्यातक के रूप में चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है जैसा कि उक्त संगत पैराग्राफ में भी स्पष्ट किया गया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी दोहराते हैं कि गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर अधूरा है और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है।

ठ. गुइलिन रबर मशीनरी फैक्ट्री ने तर्क दिया है कि प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करना पाटनरोधी करार के अनुबंध-॥ का उल्लंघन है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि प्राधिकारी केवल तभी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं जब संबंधित पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी से पूरा सहयोग करें। निर्यातक के प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने पर भी निर्यात कीमत निर्धारित करना संभव नहीं है और इसलिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ड. अन्य उत्पादक मैसर्स मैसनेक जिनकी वस्तुएं चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन के जरिए निर्यातित की गई हैं, ने उत्तर नहीं दिया है। पीयूसी के निर्यातक चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल फोरेन ट्रेड कारपोरेशन ने भी कोई उत्तर नहीं दिया है।

ढ. 130" से अधिक टीसीपी के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मध्यावधि समीक्षा द्वारा यथासंशोधित मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान है।

ण. इस दलील के संबंध में की उत्पाद के अलग-अलग आकार/श्रेणियों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग दर विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच टायर क्यूरिंग प्रेस के संबंध में शुरू की गई है। मूल जांच में शुल्क भारत

में आयातित विभिन्न प्रकार के टीसीपी पर लागू किया गया था। इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न लागत और कीमतों वाले अनेक उत्पाद प्रकारों में उत्पादित और बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। अतः पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा उत्पाद को दो समूहों में विभाजित करने का कोई विधिक या वास्तविक आधार नहीं है। अतः निर्यातक द्वारा अभिज्ञात दो समूहों पर शुल्क की अलग-अलग दर में निर्दिष्ट करना उचित नहीं होगा।

त. इस तर्क के संबंध में ही प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा यथास्वीकृत आयात आंकड़ों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना को "प्रदत्त" करना प्राधिकारी के लिए अपेक्षित नहीं है। नियम 6(7) में प्राधिकारी के लिए जांच में भाग लेने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य "उपलब्ध कराना" अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में अगोपनीय आधार पर आईबीआईएस सौदावार आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

थ. समयोजन घटक को लागू करते समय हाइड्रोलिक टीसीपी और घरेलू कंपनी द्वारा उत्पादित मैकेनिकल टीसीपी में अंतर के लिए एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6(i) के अनुसार आवश्यक अनुमति दी गई है।

द. परिवर्तनशील व्ययों को मानक बनाने, सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अपनाने और नियोजित पूंजी के निर्धारण के संबंध में यह बताया जाता है कि व्ययों के संबंध में स्थिर लागत को विभाजित करने और नियोजित पूंजी को निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अपनाना अनुबंध-111 में निर्धारित सिद्धांतों और डीजीएडी में पहले अपनायी गई संगत प्रक्रिया के अनुसार है।

ध. पहुंच मूल्य से आयातकों से प्राप्त अग्रिम के समायोजन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया सुझाव मूल लेखांकन सिद्धांतों के विरुद्ध है।

ग. निष्कर्ष

98. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :-

- (क) भारत को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए गए हैं।
- (ख) घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (ग) संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

प. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

99. प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

फ. सिफारिशें

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

102. इसलिए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

103. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि उत्पाद की क्षमता और कीमत के संबंध में पर्याप्त अंतर है अतः संदर्भ कीमत या निर्धारित शुल्क के रूप में अनंतिम शुल्क इस मामले में उचित होगा। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकाले जाने वाले मूल्यानुसार शुल्क के रूप में अनंतिम उपाय को लागू करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित सभी प्रकार की टायर क्यूरिंग प्रेसों के आयात पर इस जांच परिणाम के जारी होने की तारीख से शुल्क तालिका के कालम 9 में उल्लिखित प्रतिशत को लागू कर निकाली गई राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रमांक	टैरिफ की मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	सीआईएफ का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	84775100	टायर क्यूरिंग प्रेस	130" तक के सभी आकार	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	15
2	84775100	टायर क्यूरिंग प्रेस	130" तक के सभी आकार	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	15
3	84775100	टायर क्यूरिंग प्रेस	130" तक के सभी आकार	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	15

104. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 3 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

105. इस अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष दायर की जाएगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2016

(Final Findings)**Subject: Sunset Review investigation relating to Anti Dumping Duties imposed on imports of Tyre Curing Presses for Tyres originating in or exported from China PR****BACKGROUND**

No. 15/22/2014-DGAD.—Whereas, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation in respect of the imports of Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for Tyres” (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country) and definitive anti dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No 14/22/2007-DGAD dated 15th October, 2009. On the basis of the said findings, the Central Government imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject country vide Notification No 01/2010 dated 8th January, 2010.

Further, whereas, M/s Ralson India Ltd., Ludhiana, a user of the subject goods, filed an application before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules for initiation of Mid-Term Review seeking exclusion of anti-dumping duty on the product ‘6 Day Light Bicycle Tyres Curing Presses’ from the scope of the Anti-Dumping Duty. On the recommendation of Designated Authority, Ministry of Finance vide Notification No. 26/12 dated 14th May, 2012 excluded ‘6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses’ from the scope and ambit of antidumping duties.

2. Whereas, in terms of the Act and the Rules, the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And whereas, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And whereas M/s Larsen and Toubro Limited, approached the Authority with an application requesting for sunset review for extension of the definitive anti-dumping duty earlier imposed vide Ministry of Finance Notification No. 01/2010 dated 8th January, 2010 and Notification No. 26/12 dated 14th May, 2012 excluding ‘6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses’ from the scope and ambit of antidumping duties, on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and seeking the continuation of anti-dumping duty on the grounds that cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

5. Having satisfied that the petitioner has substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/22/2014-DGAD dated 7th January, 2015. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended up to 7th January 2016 by the Central Government vide Notification No. 06/2015-Customs (ADD) dated 3rd March, 2015.

6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed in this investigation:

- (i) The Authority notified the embassy of China in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation.

- (ii) The Authority issued a Notification No. 15/22/2014-DGAD dated 7th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- (iii) The Authority forwarded a letter along with copy of the notification to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.
- (iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.
- (v) Copy of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/ producers in the subject country were also sent to the embassy of the subject country in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject country as also other exporters / producers from the subject country to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.
- (vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with the Antidumping Rules:
 - a. Guilin Rubber Machinery Factory,
 - b. Yiyang Yishen Rubber Machinery Co. Ltd.
 - c. Sino Rubber Machinery Co. Ltd.
- (vii) Only Guilin Rubber Machinery Factory has filed exporter questionnaire response as a producer and exporter of the product under consideration in India.
- (viii) The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Apollo Tyres Ltd.
 - b. Falcon Tyres Ltd.
 - c. Birla Tyres
 - d. Goodyear India Ltd.
 - e. Bridgestone India Pvt. Ltd.
 - f. JK Tyre & Industries Ltd.
 - g. CEAT Ltd.
 - h. MRF Ltd.
 - i. Balkrishna Industries Limited
- (ix) Following importers/users responded and filed importer questionnaire response:
 - a. Automotive Tyre Manufacturing Association as an association of the consumers of the product under consideration in India.
 - b. JK Tyre & Industries Ltd.
 - c. Apollo Tyres Ltd.
 - d. CEAT Ltd.
- (x) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October, 2013 to 30th September, 2014 (12 months). However, injury analysis covered the period 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.

- (xi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation. No imports were observed from the DGCI&S data. However, domestic industry submitted that imports of the product under consideration have been observed under Chapter 98 of Customs tariff Act, which is not the dedicated classification for the subject goods. Domestic industry procured import data from secondary source, namely, IBIS, Mumbai. Further, importer questionnaire response also shows imports made from subject country. Imports from both the source have been considered to determine volume and value of imports of the product under consideration in India.
- (xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- (xiii) The Authority held oral hearing on 21st September 2015 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties.
- (xiv) The parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this final Finding, to the extent considered relevant by the Authority.
- (xv) A disclosure statement was issued on 28.12.2015 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. A time up to 01.01.2016 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- (xvi) The Authority examined the information furnished by the domestic producer to the extent necessary on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non- injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- (xvii) Verification of the information and data submitted by the applicant was carried out to the extent deemed necessary the information submitted by responding exporter and importers has been examined in detail.
- (xviii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xix) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of the 'facts available'.
- (xx) The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Finding.
- (xxi) Transaction-wise imports data has been procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the periods, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the POI. This information along with the secondary source information from IBIS as furnished by Petitioner and also the information furnished by Importer has been relied upon for the analysis in present SSR investigation.
- (xxii) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.61.65 = 1 US\$.

- (xxiii) *** in the Final Finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. SCOPE OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND ‘LIKE ARTICLE’

Submissions by the Domestic Industry

8. Views of the domestic industry on product under consideration are as follows:
- The product under consideration is “Tyre Curing Presses, excluding 6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses”, also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres. Tyre Curing Press is a machine used for curing tyre during manufacturing of a tyre. One machine can be used for a range of bead sizes.
 - Goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable.
 - The product under consideration is classified under Chapter 84, subheading 8477 5100 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is meant for “Other machinery for moulding or otherwise forming for moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or otherwise forming inner tubes”. However, this classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation. Though TCP is classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975, imports are not being reported in the dedicated HS codes and are being reported under Chapter 98 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - Quality was not at all a relevant consideration for the consumers given that the product produced by the petitioner conforms to all laid down standards. No evidence has been provided to show that the domestic industry could not supply the material against orders and specifications desired by the user company, or to show that product supplied by the domestic industry was of poor quality.
 - Domestic industry supplied the product in the international markets, which is testimony of its supplies.

Submissions by the Opposing Interested Parties –

9. Views of the opposing Interested Parties on product under consideration are as follows:

The other interested parties have contended that there has been deficiency in the quality of the materials supplied by the Domestic Industry, delay in service and even delay in supplying the PUC. All these factors have resulted in a situation wherein the user industry has been forced to import the PUC even at higher costs.

Examination by the Authority

10. The present petition is for sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. The product under consideration considered by the Authority in the original final findings is as follows:

3. The product under consideration in the present petition is “Tyre Curing Presses” also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres. Tyre Curing Press is a machine used for curing tyre during manufacturing of a tyre. Tyre curing press is a machine where tyres get their final shape and tread pattern. Hot moulds shape and vulcanize the tyres. The moulds are engraved with the tread pattern, the sidewall markings of the manufacturer and those required by law. After curing, the tyres are removed from their moulds and taken to final finish and inspection. 4. The size of the Tyre Curing Press is normally indicated in inches by the internal diameter of the Dome or the diameter of the platen. This in turn determines the maximum size of the mould that can be used in the press. The mould diameter is the critical parameter that determines the maximum size of a tyre that can be cured in that press. Generally as the press size increases it can accommodate a bigger diameter mould and hence it can cure bigger tyres. The broad classification of press sizes for various tyre segments are as shown below: 24”-36” – Scooter tyres 40” -52” – Passenger car and LCV tyres 55”- 65.5” – Truck tyres 78” – Tractor and agricultural equipment tyres 85”-185” – OTR tyres (Mining and special equipment) Optional Add ons such as vertical chuck loader, segmented mould operator and post cure inflators which help the press in terms of automation

better productivity and better product handling capacity etc. are added depending upon the requirement of the customers. 5. Tyre Curing Presses is classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 8477.51 under subheading 8477.5100 under the Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding system).

11. The Authority had modified the scope of product under consideration and excluded Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres from the scope of the product under consideration vide Notification No. 15/40/2010 dated the 29th March 2012.
12. The present investigation being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation remains the same as the scope of the product in the last concluded Mid Term Review wherein '6 day Light Bicycle Tyres Curing Presses' was excluded from the scope and ambit of antidumping duties. It is also noted that none of the interested parties have made any relevant submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the product under consideration.
13. As regards the argument that quality of the subject goods offered by the domestic industry is deficient, the Authority notes that the argument has not been substantiated and its impact on the present investigations has not been quantified. Furthermore, it is a settled principle of law that the fact that quality of the product supplied by two different parties is different does not per se imply that the imported product and the domestic product are not like articles.
14. After examination, the authority concludes that the scope of the product under consideration is "Tyre Curing Presses" also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press for curing bi-cycle tyres" and subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

15. Views of the domestic industry on domestic industry & standing are as follows:
 - a. The petition was filed by Larsen and Toubro Limited. Petitioner is a major producer of the subject goods in India.
 - b. There are four other producers of the product in India - Devon Machines Pvt. Limited, Chennai, Trimac Machinery Manufacturing Pvt Limited, Mumbai, Alfred Herbert (India) Limited, Kolkata, and Specific Engineering Corporation Pvt. Limited, Mumbai. Devon Machines is a unit of MRF Limited and is understood to be producing only for MRF. Petitioner is not aware of any merchant sales by this company. Petitioner also does not have details regarding other producers.
 - c. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in China or an importers or users of the PUC in India within the meaning of Rule 2(b).
 - d. The production of petitioner constitutes a major proportion of total domestic production of subject goods in India. Thus, the present petition satisfies the standing requirement under the Rules to file the present petition and petitioner constitutes 'domestic industry'.
 - e. Present petition is for sunset review. This being sunset review investigation, the Authority is not required to ascertain standing of the petitioner to file the present petition.

Views of the opposing Interested Parties

16. None of the interested parties have made submissions with regard to scope of the Domestic Industry and its standing.

Examination by Authority

17. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when

such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”

18. The application was filed by Larsen and Toubro Ltd. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and is not related to any exporter or producer of the subject goods in China or an importer or user of the subject goods in India. It is noted there are four other known producers of the subject goods in India, apart from the petitioner, viz., Devon Machines Pvt. Limited, Chennai, Trimac Machinery Manufacturing Pvt. Limited, Mumbai, Alfred Herbert (India) Limited, Kolkata, and Specific Engineering Corporation Pvt. Limited, Mumbai. It is noted that as per the submission by the petitioner Devon Machines is a unit of MRF Limited and is understood to be producing only for MRF and does not produce goods for domestic sales. The claim of the Petitioner in this regard has not been refuted by MRF, ATMA or other interested parties. All the known producers were sent intimation regarding the initiation notification and invited to furnish information pertaining to the case, however, they have not come forth with any information whatsoever. Further, data furnished by the petitioner shows that even if known capacity of M/s Devon Machines is considered as its domestic production, the production of petitioner would still constitute a major proportion of total domestic production of subject goods in India. The petitioner therefore satisfies the requirement of standing to file the present petition and constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the AD Rules.

D. CONFIDENTIALITY

View of Opposing Interested Parties

19. Following are the views of the Exporter:

- a. The DI in their petition has claimed confidentiality for its export figures. In fact, the DI has not even provided indexed figures and simply put an asterisk therein. Such a claim of confidentiality by the DI is inconsistent with Rule 7 of the Indian AD Rules and the practice of the Hon'ble DA as outlined in the trade notice no. 01/2013 dated 9 December 2013. Since the export figures for production and domestic sales can be indexed just like the figures for domestic production and sales, there is no basis for the DI to blank out the export figures. Para (iii) of the said trade notice clearly provides that the non-confidential version (NCV) of the submission should be indexed and only if the indexation is not possible, would the information be blanked out.
- b. As per the petitioner in the original submissions, the DI was not aware of import details but subsequent to hearing in their submissions the petitioner has mentioned import details of the subject goods from the subject country. The representative of ATMA and their member allege that the import data of ATMA members is confidential and seems to have been availed by DI on unauthorized basis.

Views of Domestic Industry

20. The following are the submissions of domestic industry.

- a. The claim of the interested parties with regard to disclosure of exports from India is denied as incorrect.
- b. In fact, ATMA member companies have resorted to excessive confidentiality. Since details of imports are publically available in the import data, there was no justification for claiming the same confidential by the importers.
- c. It is presumptive on the interested parties that petitioner has got access to confidential information of the importers and exporters. The petitioner has only got access to non-confidential version of the response. Initially domestic industry considered imports under Chapter 84 Customs headings where the machines should have been ideally imported, but on finding importers questionnaire non confidential version, it became evident that there were imports of the product under consideration in India. The domestic industry therefore examined the entire matter and realized that the imports could have been made under Chapter 98. The domestic industry then took Chapter 98 import information from IBIS and got further detailed

import information. This information has been provided to the authority. They got this insight from the fact that JK Tyre earlier wanted to buy 56 machines but subsequently placed order for 28 machines on Petitioner and for 28 machines on China. The petitioner therefore could construct information from publically available information source.

- d. As regards the contention that the IBIS data has not been made available to the other interested parties or IBIS data does not show imports of the product under consideration under Chapter 98, the domestic industry has provided IBIS data in detailed explanation given by them with regard to imports under Chapter 98. Domestic industry has not claimed confidentiality on this data.
- e. The facts clearly establish significant suppression of facts by the responding exporter and importer, wherein the exporter and importer have not reported that significant exports have been made through China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation. Further, when customs data show imports of the product under consideration on bill of entry basis, the importer or exporter could not have claimed volume of imports as confidential. The confidentiality provision has been abused by these interested parties to prevent DI from effectively participating in the investigation.

Examination of the Authority

21. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed in terms of Rule 7 of Anti-dumping Rules.
22. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
23. With regard to disclosure of confidential information to the interested parties, the authority notes that the domestic industry has been given access to only the public version of the questionnaire response filed by the exporter and importers/users. Any claim/allegation by any of the interested parties regarding violation of confidentiality is without any merit and baseless. The domestic industry obtained transaction wise data under Chapter 98 from IBIS, correlation of which with the questionnaire response can lead to construction of entire information. It is also noted that questionnaire response was filed by three importers, and whereas the said information was claimed confidential in questionnaire response, volume of imports have been disclosed in indexed form by one of the importers himself whereas other two importers claimed nil imports during POI. In any case, the information publicly available in IBIS and its comparison with non confidential version of the information would have led to easy understanding of the total imports, the imports details have been provided by DI and placed in public file. The repeated submission of the legal consultant of the importer with regard to unauthorized access of DI to imports figures is without any basis.

E. Assessment of Dumping – Methodology and Parameters

Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Normal Value

24. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

- (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Normal Value for China PR

Submissions by the domestic industry

25. Views of the domestic industry are as follows:

- a. Guilin Rubber Machinery Factory is not entitled for individual dumping margin as they are not exporter in the present case. All the exports have been made by China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation, who has not filed exporter's questionnaire response.
- b. Guilin Rubber Machinery Factory has claimed to have engaged China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation as an agent. If it is so then there could not have been sales and purchase transactions between the importer and the alleged appointed agent. It is clear that China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation is not an agent but an exporter therefore they should have participated in the investigation proceedings by filing proper response.
- c. China PR should be treated as nonmarket economy country for the following reasons:
 - (i) Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity – The Designated Authority in India and the EC has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in such cases. It is being held that it is not only the question of past interferences alone, but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti dumping duties that is relevant to market economy treatment.
 - (ii) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values – “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.
 - (iii) Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards – market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
 - (iv) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied – market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. This situation is just the opposite of the test required for material injury. It is well acknowledged position that a positive finding of injury can be recorded even if one single parameter established injury. Thus, while one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
 - (v) Onus/obligations – it is not for the Authority to establish that the Chinese companies are indeed operating under market economy environment and is entitled for market economy treatment. On

the contrary, it is for the Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

- (vi) Response from group as a whole – Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- (vii) Transformation – In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- d. The petitioner has no reservation to any categorization or PCN mechanism being followed in the present case for different sizes of the machines. It is, however, pointed out that this PCN system is appropriate only for determination of dumping margin, price undercutting and extent of injury. However, injury is required to be assessed for product under consideration as a whole. Petitioner has already undertaken price undercutting, dumping margin and injury margin analysis by comparing comparable product types. However, it is wrong to contend that the entire injury analysis and price analysis for each grade of TCP should be done separately.

Views of the Opposing Interested Parties

26. Views of the Opposing Interested Parties are as follows:

- a. Guilin Rubber Machinery Factory has claimed to be the producer and exporter of subject goods which they export to India through their agent namely China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation. Since China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation is working only as an agent, there is no need to file separate response by the agent.
- b. Export price for the purpose of calculating the dumping margin should be based upon the actual shipments of the PUC from China PR.
- c. Export price can only be constructed when there is no export price or the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party. In the present investigation, actual shipments of the PUC exist and invoices with respect to the same have been provided by the importers to the DGAD. Secondly it is the not the argument of the DI that export is unreliable on account of association.
- d. One size of TCP is specifically used to manufacture a particular type of tyre and a different size of TCP cannot be used as a substitute. In the present investigation, the PUC, i.e. TCP consists of various sizes and each type is used to manufacture a particular type of radial tyre. For example 65.5" TCP is used to manufacture radial tyres and cannot be used to manufacture other tyres such as bus tyres etc. This fact was also admitted by the DI during the oral hearing. It only implies that different grades of TCP cannot be considered as one product and therefore injury analysis and price analysis for each grade of TCP should be done separately.

Examination by the Authority

27. None of the exporters from China PR has filed the NMET questionnaire response.

28. China has been treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China has been treated as non-market economy country in India also. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. For the ready reference the provisions of Para 7 are quoted below:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in

question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

29. Since China is being considered as Non Market Economy, the Rules provide that the normal value for China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
30. In the absence of any price and cost details for the subject goods in any market economy third country and the fact noted that the exporter/producer has not filed the complete questionnaire response and claimed market economy treatment in terms of Paragraph 8(3) of Annexure 1 to the Anti-dumping Rules, the Designated Authority is left with no alternative in the current case but to determine normal value estimated on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.

Determination of individual dumping margin

31. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s) /producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/ producers of the subject goods from People’s Republic of China are required to furnish necessary information/ sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:-
 - i. *The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*
 - ii. *The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*
 - iii. *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and*
32. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
33. The authority notes that response to questionnaire response has been filed by Guilin Rubber Machinery Factory claiming that the company is a producer of the product under consideration and has exported the same to India through their agent namely China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation. The company has claimed export of *** machines to India during the investigation period. The domestic industry contended that the questionnaire response filed by the producer-exporter is not complete, as the company has exported the product under consideration to India through another company (China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation) who has not filed questionnaire response. Further, the domestic industry contended that 26 machines were imported during the period of investigation and all these machines have not been reported by the responding exporter, Guilin Rubber Machinery Factory. The domestic industry further contended that the questionnaire response filed by importer also showed increase in imports in India during the present investigation period, as per the indexed information.
34. In view of contradictory claims made by Guilin Rubber Machinery Factory and domestic industry, detailed discussions were held with the representative of Guilin Rubber Machinery Factory. It was opined that all the machines produced by Guilin Rubber Machinery Factory for export to India have not

been reported in the questionnaire response filed by Guilin Rubber Machinery Factory. Guilin Rubber Machinery Factory stated that they are not aware of any exports of the goods produced by them that might have been exported by some other Chinese traders. The Authority notes in this regard that even at the time of original investigations, it was found that Guilin Rubber Machinery Factory had not provided information in respect of all the machines. The authority had noted as follows at the time of original investigations:

44. *The Guilin Rubber Machinery Factory, the exporter from China PR provided transaction-wise details of exports made during POI. However, it was noticed that some exports were made to India from 'Guilin' which was not reflected in export transactions disclosed by the exporter. The exporter was asked to clarify and it was replied that Guilin has "reported its sales shipped by it to India during POI and negotiated directly with Indian customers. Apart from these Guilin has sales within China including also to unrelated traders, sometimes even delivered to China ports. Guilin has no idea of the final customer of such unrelated traders. Guilin reports such sales as its domestic sales since goods were delivered by it or collected from it in China and it has no knowledge of the final customer in China, India or elsewhere and since no VAT refund has been claimed or received by Guilin in respect of such sales as can be verified". After the Preliminary Findings, it was informed that the exporter has contracts with the trader and asked them to confirm whether they have re-sold the presses to India. It has also been intimated that the traders refuse to cooperate however they have confirmed that presses were re-sold to India and the names of customers have also been provided. In the revised information, the exporter has given the transaction-wise details of export directly made to India and exports made to India through one of the trader. No information has been provided about the export sales made to other countries or exports made to India through other traders. During the verification, the exporter was asked to show the delivery documents, in this regard it was stated that they were not aware of the final destination though they have delivered the presses at the direction of the trader on China's port. The exporter however could not explain satisfactorily that how the TCP which require technical inputs, for manufacturing and installation from final customer's place, could be sold to trader without knowing the final customer. It was also informed that they are not aware of final destination of the TCP sold to other traders. In the submissions, the exporter has stated that most important consideration is "technical ability". The Authority in view of the nature of the product, is unable to accept the explanation of the exporter and cannot rely on the transaction-wise details provided for exports to India. Since the exporter has not been able to correctly establish its export price claims, which is most vital for determination of individual dumping margin the Authority has not been able to determine separate individual dumping margin for the exporter 'Guilin'.*
35. The Authority notes that the questionnaire response filed by the exporter, Guilin Rubber Machinery Factory is not complete as it does not contain information/evidence with regard to all goods produced by the company for export to India. The quantity of exports as declared by M/s Guilin Rubber Machinery is significantly lower than the total quantity of import as declared by the importers. The Authority further notes that the nature of the product is such that a producer/exporter of the product under consideration cannot claim lack of knowledge with regard to ultimate destination of the product. In view of the above, the Authority holds that the questionnaire response filed by the responding producer Guilin Rubber Machinery Factory is incomplete, in so far as the exporter/trader of Guilin Rubber Machinery Factory has not filed the response. In view of the same, the Authority considers it inappropriate to determine individual dumping margin for Guilin Rubber Machinery Factory.
36. Further, the Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; only one exporter responded, namely, Guilin Rubber Machinery Factory. However the exporter has not claimed market economy questionnaire's response and sought to rebut the non-market economy presumption. Since none of the Chinese companies have filed MET questionnaire response or claimed market economy treatment, petitioner has proposed India as surrogate country. No comments have been filed by any party opposing claim of the petitioner.
37. The information on record shows imports of the following machines during POI:
 - a. 48" Hydraulic Tyre Curing Press With Heating Module And Surge Conveyor Complete

- b. 65.5" Twin Platen Mechanical Tyre Curing Press With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation.
38. In view of significant difference in the associated costs and prices of the product on the basis of size and accessories, the Authority has proposed to determine separate normal value for each of the product type and thereafter quantified dumping margin for the product under consideration on the basis of weighted average of the individual dumping margins. Accordingly, separate normal value has been proposed to be determined for the two sizes of TCP imported during POI.
39. For the purpose, as far as 65.5" machine is concerned, the domestic industry has produced and supplied machines with almost same specifications during the POI. The Authority has therefore considered production cost of these 65.5" machines by the domestic industry for determination of normal value for 65.5" machines imported from China. As regards normal value for 48" Hydraulic Tyre Curing Press, the Authority notes that the petitioner domestic industry has not produced this type of machine during the POI. However, the company did produce 48" mechanical TCP during POI. Due allowance has been made in accordance with para 6(i) of Annexure I to the Antidumping Rules for differences which are demonstrated to affect price comparability. Further, the authority notes that both 46" and 48" presses are used for production of the same type of tyres and therefore are interchangeable. The Authority therefore considers the adjusted cost of production of 48" mechanical TCP as a benchmark for constructing the cost of production of 48" hydraulic presses in POI to arrive at estimates of normal value.
40. The dumping margin has therefore been determined by comparing the constructed normal value with the associated ex-factory price in China. Further, in view of significant difference in the associated costs and prices of the product, the Authority has determined separate dumping margin for each of the product type and thereafter quantified dumping margin for the product under consideration on the basis of weighted average of the individual dumping margins.
41. As no information about prices has been made available in respect of market economy third country and also prices from such third country to other countries, the Authority has therefore determined normal value on 'any other reasonable basis'. The Authority has constructed Normal value for the Chinese producers as below –
- Consumption of raw materials per unit of production and the conversion costs have been considered on the basis of best information/data available on record, considering information/data of the domestic industry in view of the peculiarity of the product.
 - Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of best information/data available on record, considering information/data of the domestic industry.
 - Appropriate Profit has been added.
42. The Normal Value as worked out by the Authority is as below:

Description of Item	Constructed Normal Value Rs/ machine	Constructed Normal Value USD/Machine
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	***	***
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	***	***

Export price for China

43. Since the authority has not determined individual dumping margin for the Chinese producers, export price has been determined on the basis of all known imports of the product under consideration in India.
44. The Authority has determined Export Price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. Interested parties have argued that export price cannot be constructed and actual shipments of PUC need to be considered. The Authority notes in this context that import data as provided by the

domestic industry under Chapter 98 and the actual import data submitted by the importers through importer questionnaire response have been correlated and considered for the purpose of determining export price. The adjustments to the CIF prices have been made as per facts available on record. Accordingly, export price has been adjusted for agent's commission, packing expenses, ocean freight, port expenses in China, inland freight and VAT adjustments and is proposed to be determined as below.

Description of Machines	Imports (Nos)	CIF Value USD/Machine	Ex Factory Price Rs/ machine	Ex-Factory Price USD/Machine
48" Hydraulic TCP With Heating Module and Surge Conveyor Complete in all respect	18	***	***	***
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	8	***	***	***
Average	26	***	***	***

Dumping Margin

45. Considering the Constructed Normal Value with Ex- Factory Price as proposed above, the dumping margin has been determined as follows:

Description of Item	No. of machines Imported	Constructed Normal Value Rs/ machine	Ex- Factory Price Rs/ machine	Dumping Margin Rs/machine	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	18	***	***	***	***	20-30
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	8	***	***	***	***	0-10
Average	26	***	***	***	***	10-20

F. Assessment of Injury And Causal Link

Views of the Domestic Industry

46. The submissions made by the Domestic Industry with regard to injury and causal link are as follows:

- The product is imported under Chapter 84 and 98 of the Customs Tariff Act.
- The present anti dumping duty is not a sufficient deterrent for the Chinese exporters to sell the goods on dumped prices.
- Imports of the product under consideration are undercutting the prices of the domestic industry. The situation is likely to continue, should the present anti dumping duty cease.
- The increase in the selling price is far lower than the increase in cost of production. Further, these comparisons are on the basis of weighted averages and the PUC includes a number of

different product types, whose costs and prices vary very significantly. However, if the comparison is drawn for comparable product types, the same conclusion shall be drawn.

- e. Continued presence of the Chinese suppliers in the Indian market forced the domestic industry to offer sub-optimal prices. Mere presence of the low priced product in the market in an industry like this would force all the suppliers to quote lower prices on fears of loss of sales.
- f. The profit/loss per unit machine has shown steep decline throughout the injury period even after the imposition of ADD.
- g. Injury analysis would have to be done for the PUC as a whole. Individual TCP injury analysis for various economic parameters would be illegal. Even after determining separate price undercutting, dumping margin and injury margin for each type of TCP, the DA must determined weighted averages of the same and it is only the weighted average price undercutting, dumping margin and injury margin which alone are relevant for the present purposes.
- h. PCN system is appropriate only for determination of dumping margin, price undercutting and extent of injury. Injury is required to be assessed for PUC as a whole.
- i. Comparison with rubber chemicals case drawn by the interested parties is wholly inappropriate. In rubber chemicals, different types of rubber chemicals constituted different articles and therefore injury analysis was done separately. In CR Coil, injury analysis was not done separately for each product type. Only undercutting, dumping margin and injury margin was determined separately for each product type and thereafter weighted average of the same was applied and adopted.
- j. Domestic industry has provided cost of production, selling price and profit/loss, production and sales for each type of TCP produced and sold by the domestic industry. However, the injury analysis should be done for PUC as a whole.
- k. It is admitted that demand for the PUC has declined but it does not imply that injury is unlikely from imports. In fact, in a situation of declining demand, increase in imports between 2012-13 and POI clearly establishes that injury to the DI has been caused both by decline in demand and dumping from China. There may be more than one factor causing injury to the DI.
- l. Increase in imports from a level of NIL imports in 2013-14 to 26 machines in POI in a situation where demand for the product has declined clearly establishes that dumping of PUC has adversely impacted the domestic industry. Under present situation, if the ADD be revoked, injury to the DI shall intensify both on account of volume and price
- m. There were no known imports of the PUC at the time of filing the petition. The domestic industry has provided during the course of the investigations, evidence of imports during the present injury period under Chapter 98. The existing ADD is not sufficient to create equal playing field for the DI. The volume of imports in India was quite significant in the previous investigation and has again increased in the POI. The volume of imports is likely to be as significant as before in the event of cessation of anti dumping duty.
- n. Share of subject country have increased significantly in the POI from the base year.
- o. Imports from third countries have not caused injury to the DI as those imports were made at much higher prices.
- p. Performance of the domestic industry deteriorated, as a consequence of continued dumping, in terms of profits, return on investment and cash flow.
- q. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of production and sales volumes. Even though it was partially because of demand decline, the facts of the case on record clearly show that the domestic industry lost significant sales volumes, which directly affected its production, sales and consequently capacity utilization. Cessation of existing anti dumping duty shall in the present circumstances, led to intensified injury to the domestic industry.

Views of the Opposing Interested Parties

47. The submissions made by the Opposing Interested Parties with regard to injury and casual link are as follows:

- a. The DI has admitted that there is no evidence to support its contention that Chinese exporters were made at low priced quotes and such information is not available publically also, which was the basis on which they relied to claim material injury.
- b. The domestic industry has been able to increase its domestic selling price in September 2014 by 19% as compared to November 2013 according to the data available with the user industry, which rebuts the presumption of price suppression/depression.
- c. There are different grades of TCP and therefore it is not possible to provide an accurate figure pertaining to profit/loss of the domestic industry when all the grades of TCP are considered as one product. Domestic industry confirmed that the profit figures cannot be relied upon.
- d. This anomaly exists for other injury parameters too as figures for all the injury parameters have been provided considering TCP as one product and not for different grades. It is vital to analyze each grade of the TCP separately for injury analysis instead of conducting injury analysis on the TCP as a whole.
- e. The basis on which domestic industry claimed material injury does not exist because they were not aware of the price quotes provided by the Chinese exporters. It cannot be claimed that domestic industry was forced to lower its prices below the prices quotes by Chinese exporters especially considering the fact that the domestic industry has been able to achieve a market share of 63% in the POI.
- f. It is essential to provide grade wise injury and price figures for TCP so as to conduct an injury analysis and they have not been provided and thus any injury and price analysis based on these figures would not be consistent with Indian Rules and WTO Agreement.
- g. Domestic industry submitted that it is not possible for them to provide an accurate profit figure for the TCP as a whole and this could also be with respect to other injury figures such as cost of production, NIP etc which would directly impact the injury analysis. Thus, these figures cannot be relied upon and should be verified by DA.
- h. The domestic industry provided injury analysis that would serve no purpose as it will not fulfill the requirements under the Indian AD Rules. The injury analysis by the respondents show no injury to the domestic industry based upon the figures provided.
- i. There has been a significant decline in the demand and it would have impacted the domestic industry and therefore, an injury suffered on account of decline in demand cannot be attributed to imports of the PUC.
- j. The total domestic sales by the Indian manufacturers are 142 in number out of a demand of 180 and which amounts to a market share of 79% (3/4th) of the total demand. Also imports in the POI as compared to 2012-13 from third countries have increased their market share by nearly 20%.
- k. The production and domestic sales of the domestic industry has declined in the POI as compared to 2011-12 on account of decline in demand of the PUC as the market share of the Indian producers is 79% and therefore the imports cannot be held as the reason for decline in production and domestic sales.
- l. Domestic industry admitted that the profit figures provided in the petition is not accurate. A separate injury and price figures have to be provided for each grade of the TCP to comply with the requirements of Indian Rules and WTO Agreement.
- m. Even after the increase of 19% of the domestic selling price when the landed price was higher by 21% compared to the domestic selling price in the POI, the domestic selling price was still lower than the landed price of the product under consideration. There exists no case of price

undercutting and in such circumstances the question of price injury to the domestic industry does not arise at all.

- n. The price comparability has to be done for each sub specific product with its corresponding like article, where the product mix is not homogenous. Each grade of TCP is used to manufacture a particular type of radial tyre. Therefore, injury analysis and price analysis for each grade of TCP should be done separately as they are not one product.
- o. The anomaly in the profit figures is on account that there are different grades of TCP and therefore it is not possible to provide an accurate figure when all the grades of TCP are considered as one product. Separate injury analysis for each grade of the TCP must be done so as to be in compliance with Indian Rules and WTO Agreement
- p. As there has been a decline in the demand of the PUC, any claim of injury to the domestic industry has to be assessed only after eliminating the impact of decline in demand has had on the domestic industry.
- q. The domestic industry states that the import prices from these countries are higher thereby it is established that a significant amount of market share has been taken by imports from other countries. The claim of material injury to the domestic industry cannot be attributed to imports.
- r. There is no causal link between the claim of material injury and import. A non-attribution analysis is to be carried out eliminating the factors discussed, and therefore, the claim of material injury by the domestic industry on account of import cannot be established.
- s. There exists no material injury to the domestic industry as the domestic industry itself admitted that imports from the other countries are not injuring the domestic industry as they are priced higher than the domestic selling price. Similarly as landed price of the import of the PUC from China PR is priced higher than the domestic selling price.

Examination by the Authority

48. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below:
 - a. With regard to the submission that injury analysis should be done separately for each size of TCP, the Authority notes that owing to the difference in cost and price of different size of TCP, the Authority has followed the past practice of DGAD and determined dumping margin, injury margin and price undercutting separately for each product type. However, since the various sizes of TCP are nothing but different type of one product and further since the product under consideration in the present case is TCP, no separate analysis of injury is warranted. Further, even in the original investigation conducted, the analysis was done cumulatively for the product as a whole.
 - b. With regard to the argument that there exists anomaly in the profit figures on account that there are different grades of TCP, the Authority has analysed profits, cash flow, PBIT for the product in absolute terms and not in terms of per unit in view of difference in cost and price of the different grades of TCP.
49. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
50. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that the domestic industry has not suffered injury during the current period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

51. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
52. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”

53. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Assessment of Demand

54. For the purpose of determining the demand, the Authority has considered sales of the Indian producers and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table:

Demand	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of Domestic industry	Nos	242	187	121	114
Sales of Other Indian Producers	Nos	64	60	41	28
Subject Country-China	Nos	32	10	0	26
Other Countries	Nos	27	9	20	37
Demand	Nos	365	266	182	205

55. It is noted that the apparent consumption of the subject goods declined till 2013-14 and then increased in the Period of Investigation. The subject machinery is used for manufacturing tyres both for OEMs and replacement market. The industry had created surplus capacity in 2011-12 in anticipation of demand surge in subsequent years. But demand from automobiles sector slowed down in subsequent years and the tyre manufacturers did not expand their capacity in 2013-14 to the extent they did in the previous two years. As the demand in automotive sector picked up in 2014-15, the demand for the subject machinery has also risen in tandem.

Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

56. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import statistics from DGCIS, the information furnished by importers as well as import data provided by the domestic

industry from secondary source, IBIS. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Import - Volume	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
China PR	Nos	32	10	0	26
Other Countries	Nos	27	9	20	37
Total	Nos	59	19	20	63
Market Share in Imports-Volume					
China PR	%	54.24%	52.63%	0.00%	41.27%
Other Countries	%	45.76%	47.37%	100.00%	58.73%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Imports in relation to Indian production	%	1.65%	5.35%	0.00%	22.81%
Imports in relation to domestic sales	%	1.10%	3.76%	0.00%	12.68%

57. It is seen that the imports from the subject country declined and became nil in 2013-14, however imports have once again increased significantly in the POI. The share of the subject imports in total imports declined till 2013-14 and has thereafter increased at a significant level in the POI.

58. Imports in relation to production and consumption also declined till 2013-14. However, the same increased thereafter once again in the POI.

Price Effect

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting

60. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports (without antidumping duty in force) with net sales realization of the domestic industry. The following table shows the net selling price of the domestic industry, landed price of the dumped imports and the price undercutting.

Description	Landed Price (Rs/ Machine)	NSR (Rs/ Machine)	Price Undercutting (Rs/ Machine)	Price Undercutting %	Price Undercutting Range
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	***	***	***	***	20-30
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	***	***	***	***	0-10
Average	***	***	***	***	10-20

61. The above data indicates that the landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry. Further, the price undercutting is quite significant both in absolute terms and in

percentage terms. Thus cessation of anti dumping duty is likely to undercut the prices of the domestic industry to a significant extent.

Price underselling

62. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.
63. The analysis shows that the landed value of subject imports was below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry as can be seen from the table below:

Landed Price without ADD

Description	Imports (No of Machines)	Landed Price without ADD (Rs Per Machine)	Adjusted NIP/NIP (Rs Per Machine)	Price Underselling (Rs Per Machine)	Price Underselling %	Price Undersell ing Range
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	18	***	***	***	***	20-30
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	8	***	***	***	***	0-10
Weighted Average	26	***	***	***	***	10-20

Landed Price with ADD

Description	Imports (No of Machines)	Landed Price with ADD (Rs Per Machine)	Adjusted NIP/NIP (Rs Per Machine)	Price Underselling (Rs Per Machine)	Price Underselling %
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	18	***	***	***	***
65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	8	***	***	***	***
Weighted Average	26	***	***	***	***

64. It is noted that during the investigation period, the landed price of the subject goods from the subject country is far below the non injurious price determined for the domestic industry, resulting in price underselling. Even after considering the landed price after payment of current rate of 10% antidumping duty, the price underselling of 4% demonstrate that the existing rate of antidumping duty is not sufficient to curb dumping of the subject goods and would need to be reviewed.

Price Suppression and Depression

65. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of selling price of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that both cost of production and selling price have declined over the injury period, however the decline in selling price is much more than the decline in cost of sales. Thus, it is noted that imports are causing price depression in the domestic market.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of sales – Domestic	Rs/No	***	***	***	***
	Indexed	100	109	107	96
Selling price - Domestic	Rs/No	***	***	***	***
	Indexed	100	108	100	87

G. Economic Parameters affecting Domestic Industry

66. As per Annexure II to the AD Rules, the Authority is required to examine the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, which includes an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry have been analyzed as follows.

Sales, Capacity, Production, and Capacity Utilization

67. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production, and capacity utilization has been as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity	Numbers	600	600	600	600
Production	Numbers	331	204	141	140
Capacity Utilization	%	55.17%	34.00%	23.50%	23.33%
Domestic Sales	Numbers	242	187	121	114

68. It is seen that the capacity with the domestic industry has remained constant throughout the injury period. Production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry declined over the investigation period despite imposition of anti dumping duty on dumped imports. It has been submitted that the demand decline is due to recession in automobile industry and consequent holding of capital expenditure by the tyre manufacturers. Under these circumstances, should the present duty ceases, the injury of domestic industry would further intensify due to aggressive dumping.

Market share in Demand

69. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been as below:

Market Share in Demand	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Domestic industry	%	66.30%	70.30%	66.48%	55.61%
Other Indian Producers	%	17.53%	22.56%	22.53%	13.66%
China	%	8.77%	3.76%	0.00%	12.68%

Other Countries	%	7.40%	3.38%	10.99%	18.05%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

70. It is seen that the market share of the domestic industry in demand has declined whereas the market share of subject imports has increased despite imposition of anti dumping duties.

Profits, return on investment and cash flow

71. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of sales	Rs Lacs	***	***	***	***
Index		100	85	53	45
Sales Value	Rs Lacs	***	***	***	***
Index		100	85	51	43
Profit/Loss (PBT)	Rs Lacs	***	***	***	***
Index		(100)	(116)	(181)	(203)
Average PBT per Machine	Rs./Unit	***	***	***	***
Index		(100)	(151)	(363)	(430)
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Index		(100)	(146)	(516)	(565)
Profit/Loss (PBIT)	Rs Lacs	***	***	***	***
Index		(100)	(123)	(278)	(330)
Productivity Per day	No/Day	***	***	***	***
Index		100	62	43	42
Return on Investment - NFA Basis	%	***	***	***	***
Index		(100)	(128)	(368)	(480)

72. It is seen that cost of sales and sales value has declined over the injury period due to decline in demand of the subject goods consequent upon recession in automobile industry and holding of capital expenditure on enhancement of capacity by the end users i.e. tyre manufacturers. . Cost of sales has remained higher than the sales value of the domestic industry. Thus resultantly, domestic industry incurred financial losses throughout the investigation period. The financial losses have aggravated in the POI. Domestic industry has submitted that this adverse situation is because of constant presence of dumped imports in the market and absorption of ADD by the Chinese suppliers.

73. Cash profits and return on investment are consistently showing declining trend over the injury period.

Inventories

74. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table. In view of nature of the product under consideration, the inventories have been considered on volume and value basis. Further, average number of machines has been determined considering the average selling price of the product under consideration.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
In value					
Opening	Rs Lacs	***	***	***	***
Closing	Rs Lacs	***	***	***	***
Average	Rs Lacs	***	***	***	***

In volume		***	***	***	***
Opening	Numbers	***	***	***	***
Closing	Numbers	***	***	***	***
Average	Numbers	***	***	***	***
Index		100	65	42	37

Employment and wages

75. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Number of employees	No.	***	***	***	***
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***

76. It has been contended by the domestic industry that they are a multi product company and as such these parameters may not show the potential adverse effect of dumping.

Productivity

77. Data relating to productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Productivity per day	No/Day	***	***	***	***
Index		100	62	43	42
Productivity per Employee	No/No	***	***	***	***
Index		100	65	50	52

78. It is noted that productivity of the domestic industry has declined over the injury period following the movement of production of the domestic industry.

Factors affecting prices

79. Consideration of the subject import prices and import prices from other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of subject imported material is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices into India. There is no viable substitute to this product. Demand for the product has declined, however as seen, the decline in sales and production is much more than the decline in demand and therefore could not have been a factor responsible for causing injury to the domestic industry. It is thus evident that the only factor responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product from countries dumping the goods and the cost of production of the domestic industry. As the information shows, landed price of imports are below the non injurious price, selling price and also the cost of sales of the domestic industry and, therefore, imports are likely to influence the prices of the domestic industry in the market.

H. Magnitude of Dumping

80. Dumping margin determined for the subject country is above de minimis and significant.

Description of Item	Constructed Normal Value Rs/ machine	Ex- Factory Price Rs/ machine	Dumping Margin Rs/ machine	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Tyre Curing Press	***	***	***	***	10-20

I. Conclusion on Injury

81. In view of the above, it is concluded that imports of the product under consideration have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, which has caused significant depressing effect on the prices of the product under consideration in the market. The dumping margin and injury margin determined are significantly positive. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of various economic parameters such as production, sales, capacity utilization, profits, return on investments and cash flow. While it is noted that the demand for the product under consideration has also declined, it is found that the market share of subject imports increased significantly in the POI as compared to preceding years. It is concluded that despite anti dumping duty in force, the domestic industry suffered injury from dumped imports. Further, the landed price of imports is below the selling price and non injurious price of the domestic industry in the POI. In such a scenario, cessation of the anti dumping duty is likely to adversely affect the prices of the domestic industry and is likely to result in significant price depression.

J. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury**Views of the domestic industry**

82. The submissions made by the Domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- a. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case.
- b. Imports made in the Indian market have been made at dumped prices.
- c. The exporters from subject country are exporting the product under consideration to third country at dumped prices.
- d. Dumping margin in the current POI is positive and significant.
- e. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.
- f. The import price offers are materially below the cost and selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- g. The DA has recently issued final findings in the matter of Front Axle Beam and Steering Knuckles where the demand for the PUC has declined over the period. Despite the same, extension of ADD was recommended on the ground that injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of ADD.
- h. The fact that any other country has not invoked an action against Chinese dumping does not imply that the Chinese are not dumping. If dumping action by third countries was a pre-requisite to establishment of likelihood, global countries would not have extended anti dumping duty on host of products every year. Brazil has imposed ADD on Indian Jute Bags despite the fact that no other country has invoked action against Brazil.
- i. A total of 106 machines have been imported from base year to post POI period in the present case. The Chinese producer has now obtained an order for supply of 28 machines. It is not possible without existence of sufficient capacities with him. The fact that Chinese companies have quoted for this number of machines itself clearly establishes likelihood of intensified injury in the event of cessation of ADD.
- j. Designated Authority is requested for continuation of antidumping duties and impose a higher level of duty to give full protection to the domestic industry, as at the current level antidumping duty already in force are insufficient from protecting the domestic industry from unfair trade practices as indicated by significant dumped imports.

Views of the Opposing Interested Parties

83. The submissions made by the Opposing Interested Parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:
- Domestic industry has argued that there exists third country dumping of the PUC by China and this would be diverted to India if the existing anti-dumping duty would be revoked. This is an incorrect assertion. No other country in the world apart from India has initiated an anti-dumping investigation against import of TCP from China PR. Thus the question of dumping of the PUC from China PR does not arise.
 - Domestic industry has argued that the domestic industry is vulnerable to the imported goods due to freely disposable present and potential capacity with the exporters. In this respect, the respondents submitted that the domestic industry has not provided any documentary evidence to support its claim.
 - Even assuming that there exists surplus capacity, the same cannot be the ground to conclude imminent threat of injury. Thus the claim of domestic industry with respect to excess capacity of the exporters in view of the judgment of CESTAT in *Indian Spinner Association v. Designated Authority* cannot be accepted.

Examination by the Authority

84. The Authority has examined the contention of various interested parties. The Authority had called for additional information from the domestic industry for the period beyond the period of investigation.

i. Level of current and past dumping margin

85. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is significant. Despite the domestic industry holding the capacity to meet the demand, the import of the subject goods from the subject country still continue to take place at dumped prices. Given the level of price undercutting, underselling and price depression from subject country during the review period, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

ii. Volume of imports over the injury period

86. It is noted that after imposition of ADD, the volume of imports declined till 2013-14, however, increased significantly during period of investigation. A total of 26 machines constituting 12.68% of the total demand in India were imported during the POI. Further, these imports were at dumped prices and both the dumping margin & injury margin are quite significant. The imports were at a price below the selling price of the domestic industry. The domestic industry has suffered injury during the injury period examined by the authority. Thus, the current volume of imports during the injury period and its prices establishes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumping despite existing ADD. Given that the domestic industry has suffered injury and dumping has continued and the volumes have increased, these parameters per se establish that the cessation of ADD shall lead to further severity of the injury to the domestic industry.

iii. Volume of imports during Post - POI

87. In order to examine the continuation of dumping and injury to the domestic industry due to dumping of subject goods from China, the authority has also analyzed the volume of imports of subject goods into India from the subject country. The authority notes that volume of imports from subject country have increased significantly in the post POI, i.e., October 2014-March 2015. Therefore, it is clearly evident that in the event of cessation of duty the injury on account of dumped imports will multiply many folds.

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	POI	Post POI (6 months)
Imports from China (Nos)	32	10	-	26	38

iv. Post POI Performance of the Domestic Industry

88. In order to examine the likelihood of injury to the domestic industry due to dumped imports in the post investigation period, the authority has analyzed the performance of the domestic industry during the period from October 2014-March 2015. After examining the volume and price effects of imports of subject goods from subject country and its impact on the domestic industry, it is noted that the imports of the subject goods from the subject country have further increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India in post POI as compared to the POI. Though, it is seen that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry increased, however, profit and PBIT has deteriorated. The domestic industry continues to remain fragile. If the domestic industry is forced to sell the subject goods at prices matching the landed value of the imported goods due to cessation of duty, the Domestic Industry would suffer further significant financial losses. If such a situation occurs, the return on investment and cash profit would further worsen. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to cause significant adverse effect on the prices of the domestic industry.

v. Price attractiveness of the Indian market

89. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Imports are undercutting the domestic industry prices. In case of cessation of duty, the Chinese producers would further aggressively target the Indian market. Thus, the Chinese product is likely to enter in large volumes at dumped prices, should the present anti-dumping duty be ceased.

vi. Export orientation of major exporters

90. As per the records, the Chinese producers have huge capacity which is significantly beyond the demand in Indian local market. Evidence provided by the domestic industry shows percentage of exports by the exporters in the subject country as follows:

SN	Company	Export Orientation
1.	Qingdao Huicai Machinery Manufacturing Co., Ltd.	61% - 70%
2.	Qingdao Shenghualong Rubber Machinery Co., Ltd.	51% - 60%
3.	Qingdao Guangyue Rubber Machinery Co., Ltd.	31% - 40%
4.	Jiangyin Linsheng Machinery Co., Ltd (JYLSM)	11% - 20%
5.	Qingdao Fangyuanda Rubber Machine Co., Ltd.	21% - 30%
6.	Qingdao Plastsea International Trade Co., Ltd.	81% - 90%
7.	Qingdao Eenor Science&Technology Co., Ltd.	81% - 90%
8.	Qingdao Green Rubber Machinery Co.,Ltd	61% - 70%
9.	Qingdao Wanbao Machinery Co. Ltd	71% - 80%
10.	Qingdao Powerful Machinery & Electronics Co., Ltd	51% - 60%
11.	COMIX curing agent technology Wuxi Co., LTD.	31% - 40%

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

91. In view of the current volume of imports in the POI from the subject country despite existence of anti-dumping duty, price undercutting, dumping margin & injury margin; and also the analysis of the performance of the domestic industry in the post POI, the Authority concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices would undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices. Surplus capacity available with the subject country and high export orientation shows likelihood of increase in dumped imports from subject country.

K. Causal Link

92. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Accordingly, the Authority has concluded that the dumped imports are likely to intensify and cause injury if anti-dumping duty were to be revoked. Notwithstanding, the Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

- (a) Volume and value of imports not sold at dumped prices: - Interested parties have argued that imports from other countries are causing injury to the domestic industry. The Authority however notes that imports from other countries are at higher prices. Since the import price from third countries are at prices materially higher than China and the domestic industry prices, third country imports could not have been a cause of injury to the domestic industry.
- (b) Contraction in demand: - The Authority notes that the demand of the product under consideration has shown some decline as compared to the base year. However, decline in demand is much more than the decline in imports. Hence, contraction in demand is not the only reason which could have contributed to injury to the domestic industry. Further, in a situation of declining demand, the authority notes that cessation of ADD would further aggravate injury to the domestic industry.
- (c) Changes in the patterns of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
- (d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice which can contribute to the injury to the domestic industry.
- (e) Developments in technology: - It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury. The domestic industry is producing the product under consideration for the past several years. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology adopted by other players world-over.
- (f) Performance of other products produced and sold by the domestic industry: - The domestic industry comprises multi-product companies. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration only.
- (g) Productivity: - The Authority notes that the productivity of the domestic industry, as measured in terms of production per employee, has declined and has followed the same trend as production. It is however seen that the decline in production per employee is not the cause of the injury to the domestic industry.

L. Magnitude of injury and injury margin

93. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods from the subject country to determine the injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

Description of Machines	Imports (Nos)	Landed Price (Rs/ Machine)	Adjusted NIP/NIP (Rs/ Machine)	Injury Margin (Rs/ Machine)	Injury Margin %	Range %
48" Hydraulic TCP With Heating Module And Surge Conveyor Complete in all respect	18	***	***	***	***	20-30

65.5" Twin Platen Mechanical TCP With Vertical Chuck Loader And Segmented Mould Operator Complete With Piping, Electricals & Instrumentation	8	***	***	***	***	0-10
Weighted Average	26	***	***	***	***	10-20

M. Post Disclosure Comments

Submissions by the domestic industry

94. The submissions made by DI have been summarized as below:

- a. the Authority should confirm the scope of the product under consideration and methodology of comparison of different types of the product under consideration as in the original investigation;
- b. the applicants constitute domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules;
- c. the sole responding exporter has once again partially cooperated and has filed incomplete questionnaire response;
- d. the product under consideration continues to enter the Indian market, from China PR, at dumped prices. Further, the dumping margin has increased as compared to the original investigations;
- e. the landed price of imports of product under consideration is materially below the NIP of the domestic industry, thus resulting in significant injury margin.
- f. the injury margin has increased as compared to the original investigations.
- g. imports of product under consideration from China PR are undercutting the prices of the domestic industry and there is positive price underselling.
- h. while the Petitioner stated in the petition that there were no imports of the product under consideration from China, the facts gathered during the course of the investigations clearly establish that there were significant imports of the product under consideration. In fact, the volume of imports increased over the present injury period.
- i. comparison of imports from China and demand over the present injury period and in the post POI with the injury period of original case shows that volume of imports in absolute terms as also in relation to consumption in India in the present POI is higher than volume of imports in absolute terms and in relation to consumption in India at the time of original investigation. This is despite ADD in place. Thus, while this clearly establishes absorption of ADD by the Chinese exporter on one hand, this also establishes likelihood of injury in case of cessation of ADD and a need for enhancement in the quantum of ADD.
- j. the NIP determined by the Authority is unduly low.
- k. with regard to NIP for 48" press, the domestic industry has submitted that it would not be appropriate to take the average selling price of mechanical press produced by domestic industry over the injury period to average selling price of the hydraulic press sold in 2011-12. The Authority should consider the average price of the machines sold in hydraulic and mechanical form during the same period, i.e., 2011-12. Further, the adjustment factor is also required to be provided for reasonable profits. If level of profits for different machines produced and sold cannot be the same, level of profit for 48" and 65.5" can also not be the same. The Authority should apply the adjustment factor for calculating the return on capital employed while constructing the non-injurious price of 48" hydraulic machine.
- l. the entirety of expenses on account of freight inward, loose tools, stores and spares, Engg., Professional & Consultancy fee, travelling and conveyance cannot be treated as fixed expenses. In fact, the application proforma itself requires domestic industry to segregate freight inward, loose tools, stores and spares, travelling and conveyance into fix and variable expenses. The petitioner has

identified and segregated expenses into fixed and variable expenses. Such being the case, it would be inappropriate to treat entirety of these expenses as fixed expenses particularly when the application proforma itself requires segregation of expenses into fixed and variable expenses.

- m. freight inward is required to be considered as variable expense and therefore should not be normated.
- n. working capital should not be reduced for the advance received from customers.
- o. landed price of import is also required to be adjusted for the advance that have been received by exporters. If advance received by the domestic industry has been reduced from working capital, such advance is required to be deducted from the landed price of imports as well.
- p. determination of NIP as per Annexure III is inconsistent with other provisions of the Rules.
- q. Commission, sales tax, freight outward and bad debts are required to be added to the NIP.
- r. ADD is required to be continued in ad-valorem form and the quantum is required to be enhanced.

Submissions made by interested parties

95. Submissions made on behalf of Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) have been summarized as below:

- a. Several injury parameters which are completely different than what has been provided by the domestic industry in their submissions and this itself invalidates the disclosure report as the same is not based upon the facts revealed to the opposing interested parties.
- b. Profit is different from what was submitted during Post Oral Hearing submissions. If the DI provided such changed data then veracity of the data is questionable in view of the consistently changed data. Why such data was not provided by the DI to the other interested parties for their comments. However, if such data was available with the Hon'ble DA, then why such data was not shared with the interested parties before and why the interested parties were deprived of the opportunity to comment on the same.
- c. Different set of profit/loss figures have been provided through the course of this investigation. The first instance of anomaly in profit figures had been highlighted by the respondent in the previous submissions.⁴ It was only when the accuracy of these figures was contested by the respondent that the DI admitted to the anomaly in its figures at the oral hearing, wherein after posting profits the DI was suffering losses.
- d. Opposing interested parties including ATMA have not been provided with the transaction wise import data from IBIS under Chapter 98 till date which is in contravention to the established practice of the DGAD and for the first time finds a mention in the disclosure statement.
- e. It is mandatory for the Hon'ble DA to provide the import data as relied upon by the DI to the opposing interested parties. This position is also supported by the observation of the Hon'ble High Court of Delhi in Sandisk International.
- f. DA performs a quasi judicial function and such functions are subject to the principles of natural justice. These principles require that the Hon'ble DA should disclose to the opposing parties all the relevant facts based upon which the present disclosure statement has been issued.
- g. TCP consists of various grades and each grade is used to manufacture a particular type of radial tyre which cannot be used to manufacture other tyres. On account of this difference, the weight and prices of different grades of TCP varies significantly. 46" and 48" presses are not interchangeable and therefore cannot be considered as the same product.
- h. DA has not determined the NIP for 48" TCP. TCP of 48" was not produced by the DI during the POI and therefore, the NIP could not have been worked out using the cost of production of the Domestic Industry. The basis for concluding underselling for 48" TCP is not clear.
- i. Historical rate of return in the industry should be taken into consideration while determining the NIP and therefore the same must be disclosed.
- j. Since other importers have also imported the PUC, it is not possible to identify the exact import data for each year of the injury period simply on the basis of the IBIS data. How Domestic

Industry could Domestic Industry compare IBIS data with NCV indexed information to construct total imports data.

- k. Designated Authority has not considered rebuttal on surplus capacity. The information provided in one page summary does not support the conclusion drawn by the DI with respect to excess capacity, as it does not mention that the increase in installed capacity is being done for exports and that too for India.
- l. Out of 11 manufacturers of the TCP whose details are provided for export orientation, there is no documentary evidence to suggest that any one of these manufacturers have excess capacity.

96. Submissions made on behalf of Guilin Rubber Machinery Factory (GRM) have been summarized as below:

- a. GRM has fully cooperated with the Designated Authority and filed complete and comprehensive questionnaire response.
- b. GRM exported only 8 machines of 65.5 to JK Tyres. The rest 18 machines of 48" sourced from CNPFT by JK Tyres during Period of Investigation were supplied by M/s Mesnac Co. Ltd. China PR. Both CNPFT and Mesnac are not related companies of GRM.
- c. Rejection of all information is violative of para-5 of the Annex II of AD Agreement. GRM acted with great responsibility by providing complete information as and when sought by the Authority and offered verification of the data. Before rejection, Authority should have either conducted verification at the exporters premise.
- d. TCP of above 130" must be specifically excluded as was originally excluded from the original investigation. The Domestic Industry does not produce the same.
- i. Size is a crucial parameter for pricing the product. Thus, ADD should be imposed by dividing PUC into two groups as per the size namely, for TCP upto 48" and the other TCP between 48"-130".

Examination by the authority

97. The issues put forward by the producer; user association and DI have already been addressed in relevant paragraphs. However, for the sake, of clarity some of the issues are being addressed here in below in brief:

- a. ATMA, the importer/users association has contended that several injury parameters in Disclosure Statement are completely different from petition or submissions of the domestic industry. The Authority notes in this regard that (a) the present disclosure statement is on the basis of investigations conducted by the Authority and facts and figures verified by the Authority. It is, therefore, not necessary that figures contained in the petition or submissions of the domestic industry and figures considered by the Authority should be identical, (b) in fact, since Authority conducts its own investigation, the figures can be different from what has been given by the parties, (c) one of the purposes of investigation is to arrive at correct facts, (d) the purpose of disclosure statement is to inform interested parties about the essential facts under consideration which shall form the basis for determination, (e) adequate opportunity have been given to the interested parties to offer their comments.
- b. It is also noted that as far as parameters such as PBT and PBDT are concerned, there is no change in the information contained in the petition and information verified by the Authority. There are minor changes in respect of parameters. It is further noted that the injury statement provided by the domestic industry contained several additional information such as amount of depreciation, amount of interest etc., the purpose of which is to arrive at the relevant economic parameter (cash profit or ROI). Some calculations done by the domestic industry does not show correct position with regard to whether the figure is positive or negative (the figures are correct. But, the fact that the figure is negative has not been correctly shown at few places). It is, however, noted that as far as the economic parameters are concerned, the same has been correctly indexed in the non-confidential versions. For instance, the cash profit throughout the period has been negative and has been reported accordingly in the injury statements. However, while doing calculation of cash profit, the domestic industry has shown its calculation (that the cash profit has been determined as sum of profit and depreciation), where profit/loss figures does not report that the figures is negative.

- However, the fact that the profit figure is negative is evident from the information on profit contained in the very same injury statement. In any case, as far as prescribed economic parameters are concerned, the same have been correctly reported.
- c. As regards disclosure of information, Authority notes that non confidential version of the information has already been provided by the domestic industry in their letter dated 11.12.2015. Furthermore, it is noted that the importer concerned have also been participating in the present investigation and thus, the interested parties were fully aware of the relevant information.
 - d. As regards alleged violation of principles of natural justice, the Authority notes that due process has been followed in the present investigation and adequate opportunity has been provided to all interested parties. The interested parties contending violation of principles of natural justice are in fact in possession of relevant information and in fact have filed such information through their importers questionnaire response. It cannot therefore be claimed that the interested parties were not aware of the information relied upon by the domestic industry or by Designated Authority.
 - e. As regards injury analysis for each grade of the product, Authority notes that injury analysis under Annexure-II in respect of various parameters such as sales, profits, production, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity, factors affecting domestic prices, margin of dumping, cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments is required to be conducted in respect of product under consideration as a whole. The law does not permit segregate injury analysis for each grade in respect of these parameters. In case, in view of significant difference in the cost and price of different types of TCP, the Authority has determined dumping margin, price undercutting and injury margin separately for different type and thereafter has arrived at weighted average dumping margin, price undercutting and injury margin for the product under consideration as a whole.
 - f. As regards the contention that the Authority has not determined NIP for 48" TCP, the Authority notes that the rules require the Authority to determine NIP for like article and the same has been done in the present case. The Authority considered the actual information pertaining to 65" TCP produced during the POI by the DI for the determination of NIP. The 48" Hydraulic TCP was not produced by DI during the POI, therefore, the Authority considered it appropriate to take 48" Mechanical TCP data produced by DI during POI, duly adjusted, as a like article to imported 48" Hydraulic TCP. The opposing interested parties have not made any suggestion whatsoever in this regard. This is in accordance with the law that where the domestic industry has not offered identical product type, the Authority is required to consider another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
 - g. As regards consideration of Return on Capital Employed, the Authority notes that it has been consistent practice of the Authority to adopt 22% ROCE, even if the historical return is higher than 22%. The authority notes in this regard that the Rules provide for consideration of a "reasonable" rate of rerun and not a "historical" rate of return. It is appropriate and reasonable to allow 22% return on the capital employed.
 - h. As regard possible import by other importers, the authority notes that the exporters, importers and other interested parties were provided adequate opportunity throughout the investigation to provide relevant information and participate in the investigation. Further, Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) whose members are majority consumers of the product under consideration has also participated in the present investigation. The Authority has called information from DGCI&S and the domestic industry has provided information as per IBIS. Interested parties too had liberty to procure from secondary sources, particularly when there are several private agencies in the Country providing information. Information filed by the exporters was also considered for the purpose. Thus, volume and price of imports have been determined after considering all information available on record. None of the parties were able to point out possible non imports which have not been included in the present data.
 - i. As regards the contention that the domestic industry could not have constructed imports reported by an importer, the Authority reiterates the observations above and notes that the IBIS data can be very easily correlated to the NCV of the Questionnaire Response. It is also noted that the domestic industry had filed in their post hearing written submissions various information such as import

- statement as per IBIS; normal value, export price, dumping margin. The description of the goods mentioned in the net export price and dumping margin statement clearly is as per the description mentioned in the IBIS data and is different from the description mentioned by the importer in its questionnaire response. Further, the domestic industry has filed a detailed reply on how they have arrived at this information, which clearly shows that they have sought information from IBIS and another secondary source for imports of the product under consideration under Chapter 98.
- j. As regards the contention that the Authority has not considered rebuttal on surplus capacity, the Authority notes that the information on actual volume of import in the POI and post POI itself shows that volume of imports of the product under consideration in the present period is higher than the volume of imports in the original period, even when demand for the product in the current period was lower than demand for the product in the original POI. The fact that Chinese producers have sold 106 machines during April, 2011 to March, 2014, whereas they had sold only 31 machines during the injury period of original case itself establishes existence of significant surplus capacities in China. The Authority further note that 26 machines imported in POI constituted 12.68% of the demand for the product in the country and therefore was significant enough in establishing likelihood.
 - k. Guilin Rubber Machinery factory contended that the company has fully cooperated by filing the response. As per their statement, China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation is only their agent and not required to file response with the authority and that the 18 machines of 48" pointed out by the Authority were in fact produced by Mesnac Co. Ltd. who is not related to Guilin Rubber Machinery factory. The Authority notes that the questionnaire response of Guilin Rubber Machinery factory was discussed with the legal representatives of Guilin Rubber Machinery factory during the investigation and concerns regarding incomplete response was discussed with them. In view thereof, they were informed in advance that the verification exercise would not be appropriate. GRM was provided enough opportunity to clarify the factual position with regard to exports made by them and total imports made in India. However, the confirmation to the number of machines being produced by GRM and Mesnac has been brought to the notice of the Authority for the first time in post disclosure comments. Since goods produced by Guilin Rubber Machinery factory were exported by China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation and further since China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation is the exporter of the product under consideration of these machines, in any case, it is evident that the questionnaire response is incomplete in as much as Guilin Rubber Machinery factory as a producer has filed the questionnaire response, but China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation as an exporter has not filed questionnaire response, as also explained in above relevant paragraph. Under the circumstances, the Authority reiterates that the questionnaire response filed by Guilin Rubber Machinery factory is incomplete and not sufficient to permit determination of individual dumping margin.
 - l. Guilin Rubber Machinery factory has contended that rejection of questionnaire response is in violation of Annexure-II of AD Agreement. The Authority notes in this regard that the Authority can determine individual dumping margin only when the parties concerned fully cooperate with the Designated Authority. Since, the exporter has not filed a questionnaire response, it is not possible to establish export price and therefore the individual dumping margin cannot be determined.
 - m. M/s Mesnac, the other producer whose goods have been exported through China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation has not filed any response. China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation, the exporter of PUC has also not filed any response.
 - n. As regards TCP above 130", it is clarified that the scope of product under consideration in the present investigation is the same as the scope of product under consideration in the original investigation, as modified by the midterm review.
 - o. As regards the contention that separate rate of anti-dumping duty should be specified for different size/categories of the product, the Authority notes that the investigation has been initiated in respect of Tyre Curing Press. The duty in the original investigation was imposed on various types of TCP imported into India. Further, the product under consideration is produced and sold in a number of product types having different costs and prices. Dumping margin and injury margin are

required to be determined for the product under consideration as a whole. The ADD should therefore be one for the product under consideration. Further, there is no legal and factual basis for dividing the product into two groups. It would, therefore be inappropriate to specify separate rate of duty on the two groups identified by the exporter.

- p. As regards the contention that it is mandatory for the authority to provide the import data as relied upon by the domestic industry to the opposing interested parties, the authority notes that the rules do not require the authority to "provide" information filed by various interested parties during the course of investigations. The Rule 6(7) requires the authority to "make available" the evidence presented to authority by one interested party to the other interested parties participating in the investigation. The domestic industry has provided IBIS transaction wise data on non-confidential basis in their submissions and the same had been placed in the public file.
- q. While applying adjustment factor due allowance has been made in accordance with Para 6(i) of Annexure I to the ADD Rules for differences in hydraulic TCP and mechanical TCP produced by the domestic company.
- r. As regards, normation of variable expenses, adoption of best capacity utilization and determination of capital employed, it is stated that treatment of expenses, adoption of best capacity utilization during the injury period for apportioning fixed cost and determination of capital employed is in accordance with the set principles laid in Annexure III and consistent past practice followed in DGAD.
- s. As regards adjustment of advance received from importers from landed value, the suggestion made by the DI is against the basic accounting principles

N. CONCLUSION

98. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- b. The domestic industry has suffered material injury;
- c. The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country.

O. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

99. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.

100. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

P. RECOMMENDATIONS

101. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury.

102. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

103. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority further notes that there is a significant differentiation of the product in terms of its capacity and prices, hence, a duty in terms of reference price or fixed duty would not be appropriate in this case. Therefore, the Authority recommends imposition of the measure as an ad valorem duty, to be worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in Col 9 of the duty table is recommended to be imposed from the date of issue of this findings, on imports of all types of Tyre Curing Presses (upto 130") originating in or exported from China PR.

Duty Table

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	% of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	84 77 5100	Tyre Curing Presses	All sizes upto 130"	China PR	China PR	Any	Any	15
2	84 77 5100	Tyre Curing Presses	All sizes upto 130"	China PR	Any	Any	Any	15
3	84 77 5100	Tyre Curing Presses	All sizes upto 130"	Any	China PR	Any	Any	15

104. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

105. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority